No. UD-A(3)-1/2013-I.
Government of Himachal Pradesh
Department of Urban Development.

To

The Secretary.
H.P. Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated:Shimla-2, the 17-8-2016.

Subject: Introduction of "Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Bill, 2016.

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the "Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Bill, 2016" in the current session of Himachal Pradesh Legislative Assembly.

I, therefore, request you to obtain the permission from the Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bill in the list of business for introduction, consideration and passing the same in the current session in relaxation of relevant rules.

Three authenticated copies of the above mentioned Bill are enclosed, herewith.

Yours faithfully,

[Sudhir Sharma]
U.D. Minister, H.P.

2016 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 10 का संशोधन
3. धारा 82 का संशोधन।
4. धारा 83 का संशोधन
5. धारा 111 का संशोधन।
6. धारा 113 का संशोधन।
7. धारा 114 का संशोधन।
8. धारा 115 का संशोधन।
9. धारा 124 का संशोधन।
10. धारा 125 का संशोधन
11. धारा 126 का संशोधन।
12. धारा 127 का संशोधन।
13. धारा 128 का संशोधन।
14. धारा 129 का संशोधन।
15. धारा 133 का संशोधन।
16. धारा 135 का संशोधन।
17. धारा 140 का संशोधन।
18. धारा 143 का संशोधन
19. धारा 146 का संशोधन।
20. धारा 148 का संशोधन।
21. धारा 149 का संशोधन।
22. धारा 150 का संशोधन।
23. धारा 152 का संशोधन।
24. धारा 159 का संशोधन।
25. धारा 162 का संशोधन
26. धारा 166 का संशोधन।
27. धारा 172 का संशोधन
28. धारा 173 का संशोधन

29. धारा 175 का संशोधन
30. धारा 180 का संशोधन।
31. धारा 183 का संशोधन।
32. धारा 184 का संशोधन।
33. धारा 191 का संशोधन।
34. धारा 192 का संशोधन।
35. धारा 193 का संशोधन।
36. धारा 196 का संशोधन।
37. धारा 197 का संशोधन।
38. धारा 198 का संशोधन।
39. धारा 199 का संशोधन।
40. धारा 200 का संशोधन।
41. धारा 207 का संशोधन।
42. धारा 211 का संशोधन।
43. धारा 221 का संशोधन।
44. धारा 227 का संशोधन।
45. धारा 237 का संशोधन।
46. धारा 240 का संशोधन।
47. धारा 248 का संशोधन।
48. धारा 279 का संशोधन।
49. धारा 292 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 10 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (4) में, "नगरपालिका प्रशासन" शब्दों के पश्चात् "का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले
10 व्यक्तियों, यथास्थिति, नगर पंचायतों में तीन से अनधिक और नगरपालिका परिषद् में चार से अनधिक, को सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 82 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (2) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रूपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक
15 से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 83 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग होता रहता है, दस रुपये होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान
20 पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और अविरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात्

प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 111 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (4) में ''पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 5

धारा 113 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 113 में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित धारा 113 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

''परन्तु कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियन्त्रित करने के लिए सम्बद्ध नगरपालिका, शहरी या नगरपालिका के साथ लगते क्षेत्र में अवस्थित पशुपालन विभाग की सहायता से स्वामी के खर्चे पर, ऐसी दर पर, जैसी समय–समय पर नगरपालिका द्वारा अधिसूचित की जाए, पालतू/आवारा कुत्तों का बन्ध्याकरण/टीकाकरण करने के लिए, पग उठा सकेगी और आवारा और अनभिज्ञात कुत्तों की दशा में ऐसा खर्चा नगरपालिका निधि में से वहन किया जाएगा।''। 10 15

धारा 114 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 114 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 115 में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे। 20

धारा 124 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) में, ''पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। 25

10. मूल अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (4) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, दस रुपये" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "एक हजार रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 125 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) में, "एक सौ रुपये और अधिक से अधिक एक हजार रुपये होगा और यदि भंग चालू रहने वाला हो तो अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम भंग के पश्चात् भंग चालू रहता है, एक सौ रुपये होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दस हजार रुपए होगा और यदि भंग जारी रहता है तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 126 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये हो सकती है" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए हो सकती है" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 127 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) में, "पचास रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 128 का संशोधन।

धारा 129 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जो कोई इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रकार की सीटी, तुरही या अन्य किसी यन्त्र को प्रयुक्त करता है या उसे उपयोग में लाता है तो वह जुर्माने से जो कम से कम पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा।"।

धारा 133 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (2) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और कोई नोटिस जारी किए जाने पर हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, दस रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा, और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 135 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 135 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 140 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (2) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 143 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 143 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 146 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 146 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

20. मूल अधिनियम की धारा 148 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 148 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 149 में,— धारा 149 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "पचास रुपये के और पश्चात्वर्ती प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए के और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में, "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

22. मूल अधिनियम की धारा 150 में, "पचास रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 150 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) में, "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 152 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 159 में, "पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 159 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 162 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 162 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (3) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 166 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 172 का संशोधन।

धारा 173 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (4) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 175 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 175 की उपधारा (3) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा तथा जब उल्लंघन या अननुपालन चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन के पश्चात् उल्लंघन या अननुपालन होता रहता है, दस रुपये होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पचास रुपए होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 180 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 180 में, "पचास रुपये, तथा अधिक से अधिक पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक सौ रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 183 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 183 की उपधारा (1) में, "पच्चीस रुपये, तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 184 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 184 की उपधारा (2) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 191 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 191 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 192 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) में, "पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

35. मूल अधिनियम की धारा 193 की उपधारा (2) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 193 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 196 की उपधारा (1) में, "पच्चीस रुपयें और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 196 का संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 197 में,— धारा 197 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

38. मूल अधिनियम की धारा 198 में, "पच्चीस रुपये से अन्यून और दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए से अन्यून और दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 198 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 199 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 199 का संशोधन।

40. मूल अधिनियम की धारा 200 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 200 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 207 में, "एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, धारा 207 का संशोधन।

जिसके दौरान उपयोग होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 211 का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 211 में,—

(क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि उस व्यक्ति को, जिसे कार्य को बन्द करने या सन्निर्माण को हटाने का नोटिस परिदत्त हो गया है, तो सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी चल रहे कार्य को रोकने या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए सन्निर्माण को हटाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए आबद्धकर होगा। यदि अधिकारी/कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए दायी होगा :"; और

(ख) उपधारा (5) में, "एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच हजार रुपए तक का हो सकता है, दायी होगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 221 का संशोधन।

43. मूल अधिनियम की धारा 221 की उपधारा (3) के खण्ड (1) में, "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

44. मूल अधिनियम की धारा 227 में, "पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 227 का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 237 में, "पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, दस रुपये होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच सौ रुपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और भंग जारी रहने की दशा में, प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 237 का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 240 में, "पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपये और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 240 का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में, "पांच रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 248 का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (4) में, "पचास रुपये से कम और पांच सौ रुपये से अधिक" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए से कम और पांच हजार रुपए से अधिक" शब्द रखे जाएंगे। धारा 279 का संशोधन।

49. मूल अधिनियम की धारा 292 की उपधारा (3) में, "तीन मास तक की हो सकेगी, या" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "पांच सौ रुपए के" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 292 का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) नगरपालिकाओं के गठन, इनकी शक्तियों और कृत्यों, वित्तीय नियन्त्रण, विकास और योजना तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचन और निर्वाचन विवाद निवारण तन्त्र का उपबन्ध करता है तथा अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शास्तियों का भी उपबन्ध करता है। पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन उपबन्धित शास्तियां, वर्तमान समय और युग में नाममात्र की हैं। 25 रुपए से 200 रुपए तक की शास्ति का अधिरोपण बिल्कुल पर्याप्त नहीं समझा गया है और यह शास्ति के नाम पर केवल क्षमा ही है। नगरपालिका विधियों के अधीन विद्यमान शास्तियों की बाबत विवाद्यक, सी0 डब्लयू0पी0आई0एल0 नम्बर 28/2011 नामतः अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की सुनवाई के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि सरकार को नगरपालिका विधियों के अधीन शास्तियों में बढ़ौतरी करने पर विचार करना चाहिए। इस विवाद्यक का परीक्षण किया गया और पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन उपबन्धित शास्तियों का बढ़ाया जाना न्यायसंगत और समुचित समझा गया है ताकि उपबन्धों को और अधिक भयोपरापी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 10 नगरपालिकाओं के गठन का उपबन्ध करती है। इस धारा के अधीन राज्य सरकार के पास नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन से अनधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की शक्ति है। अतः, नगरपालिका परिषदों में सदस्यों की संख्या को तीन से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियन्त्रित करने के आशय से शहरी और नगरपालिकाओं के साथ लगते क्षेत्रों में स्वामियों के व्यय पर पशुपालन विभाग की सहायता से पालतू कुत्तों के बंध्याकरण/टीकारण के लिए उपबन्ध करने का भी प्रस्ताव किया गया है और आवारा या अनभिज्ञात कुत्तों के मामले में व्यय, नगरपालिका निधि से वहन किए जाएंगे। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुधीर शर्मा)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख :

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुधीर शर्मा)
प्रभारी मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : ....., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

10. नगरपालिकाओं का गठन.—(1) धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिकाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों की सात से अन्यून ऐसी संख्या होगी जो सरकार द्वारा नगरपालिका के निम्नलिखित जनसंख्या के मापदण्ड के अनुसार अवधारित की जाए :—

(i)	6150 से अधिक जनसंख्या के लिए	7 सदस्य
(ii)	6150 से अधिक किन्तु 12,300 से अनाधिक जनसंख्या के लिए	9 सदस्य
(iii)	12,300 से अधिक किन्तु 24,600 से अनधिक जनसंख्या के लिए	11 सदस्य
(iv)	24,600 से अधिक किन्तु 36,900 से अनधिक जनसंख्या के लिए	13 सदस्य
(v)	36,900 से अधिक किन्तु 49,200 से अनधिक जनसंख्या के लिए	15 सदस्य
(vi)	49,200 से अधिक किन्तु 61,500 से अनधिक जनसंख्या के लिए	17 सदस्य
(vii)	61,500 से अधिक जनसंख्या के लिए	19 सदस्य

परन्तु यथा–पूर्वोक्त सदस्यों का अवधारण तब तक नगरपालिका की संरचना को प्रभावित क्षेत्र में करेगा जब तक उस समय पद धारण करने वाले निर्वाचित पदावधि का अवसान नहीं हो जाता है :

परन्तु यह और कि राज्य के नगरीय क्षेत्र की औसत जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा उस नगरपालिका की जनसंख्या की वृद्धि दर के अधिक या कम होने के कारण, यथास्थिति, नगरपालिका में वार्डों (सीटों) की संख्या में बढ़ौतरी या कमी की दशा में, उस नगरपालिका के वार्डों (सीटों) की विद्यमान संख्या को उस दशा में भी बनाए रखा जाएगा।

(2) उपधारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाए, नगरपालिका में सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उपायुक्त ऐसे नियमों के अनुसार जो सरकार द्वारा विहित की जाएं :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में इस रीति में विभाजित करेगा कि–

(i) प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा; और

(ii) प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या को, यथासंभव समान रूप से बांटा जायेगा;

(ख) प्रत्येक वार्ड के क्षेत्रीय विस्तार को अवधारित करेगा; और

(ग) ऐसे वार्ड या वार्डों को अवधरित करेगा जिनमें धारा 11 के अधीन स्थान आरक्षित किए जाते हैं।

(3) नगरपालिका में इस धारा के अधीन वार्डों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अतिरक्त, पूर्णतया या भागतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य भी मताधिकार सहित सदस्य होंगे।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि व्यक्ति जिसने किसी नगरपालिका का ठीक पूर्ववर्ती चुनाव लड़ा हो और हारा हो, तो वह उस नगरपालिका या किसी अन्य नगरपालिका के सदस्य के रूप में, इस विद्यमान अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् इस उपधारा के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेगा, परन्तु इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित नगरपालिका की अवधि से परे नहीं।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट सदस्यों तथा नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यपालक अधिकारी को और नगर पंचायत की दशा में सचिव को नगरपालिका की बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

82. जानकारी देने का कर्त्तव्य.—(1) प्रत्येक व्यक्ति, नगरपालिका द्वारा इस निमित सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो यह अभिनिश्चय करने की दृष्टि से आवश्यक हो, कि क्या ऐसा व्यक्ति कोई नगरपालिका कर देने का दायी है, और प्रत्येक होटल या संवास–गृह का स्वामी या आवासीय क्लब का सचिव भी, यथापूर्वोक्त मांग किए जाने पर ऐसे होटल, संवास–गृह या क्लब में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि तथाकथित कोई व्यक्ति, जिससे ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की इस प्रकार अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में लोप करता है या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है, जो मिथ्या है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा।

83. हकों के अन्तरण पर नोटिस.—(1) जब कभी ऐसी सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर देने के प्रथमिक रूप से दायी किसी व्यक्ति का किसी निर्माण या भूमि पर हक अंतरित किया जाता है, तो अंतरक और अंतरिती, यदि अंतरण विलेख पंजीकृत किया जाए तो उसके पंजीकरण से तीन मास के भीतर, या यदि वह पंजीकृत न किया जाये तो उसके निष्पादन से तीन मास के भीतर या यदि कोई भी लिखित निष्पादित न की जाये, तो उसके वास्तविक अन्तरण से तीन मास के भीतर, ऐसे अंतरण का लिखित नोटिस नगरपालिका को देंगे।

(2) किसी सम्पत्ति पर कर देने का प्राथमिक रूप से दायी प्रत्येक व्यक्ति, जो यथापूर्वोक्त नगरपालिका को ऐसे अंतरण का नोटिस दिये बिना ऐसी सम्पत्ति पर अपना हक अन्तरित करता है, किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त, जो ऐसी उपेक्षा के कारण उसका बनना है, उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर संदेय ऐसे सभी कर देने का तब तक दायी बना रहेगा, जब तक ऐसा नोटिस नहीं दे देता या जब तक नगरपालिका की बहियों में अन्तरण अभिलिखित नहीं कर दिया जाता।

(3) जब कभी किसी निर्माण या भूमि का हक किसी व्यक्ति पर विरासत से न्यायगत हो गया है, तो वारिस, पूर्व स्वामी की मृत्यु की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसी विरासत का लिखित नोटिस नगरपालिका को देगा।

(4) इस धारा की किसी बात के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा कि वह उक्त करों के सम्बन्ध में अन्तरिती या वारिस के दायित्व को कम करती है या सम्बद्ध सम्पत्ति के बारे में देय करों की वसूली के लिए नगरपालिका के पूर्विक दावे को प्रभावित करती है।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो उप–धारा (1) और (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, जो वह ऐसी उपेक्षा के कारण उपगत करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग होता रहता है, दस रुपये होगा।

111. कब्रिस्तानों और श्मशानों के बारे में शक्तियां.—(1) नगरपालिका, सार्वजनिक नोटिस द्वारा आदेश कर सकती है कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर या उनके एक किलोमीटर के भीतर स्थित कोई कब्रिस्तान या श्मशान, जिसका पड़ोस में निवास कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण होना स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है, नोटिस में नियत की जाने वाली तारीख से बन्द रहेंगे और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेश किया जाए तो, यह समझा जाएगा कि नगरपालिका ने ऐसे निदेश की अधिसूचना के एक मास के भीतर इस प्रकार आदेश किया है, और ऐसे मामले में, यदि युक्तियुक्त दूरी के भीतर कब्रिस्तान या श्मशान के लिए कोई उचित स्थान विद्यमान नहीं है तो उस प्रयोजन के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो नगरपालिका इस निमित्त अधिरोपित करे, ऐसे कब्रिस्तान में से निजी कब्रिस्तानों को नोटिस से छोड़ा जा सकता है :

परन्तु ऐसे कब्रिस्तानों की सीमाएं पर्याप्त रूप से परिनिश्चित होंगी और वे केवल उनके स्वामियों के कुटुम्ब के सदस्यों को दफनाने के लिए ही उपयोग में लाए जायेंगे।

(3) किसी भी कब्रिस्तान या श्मशान को, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् नगरपालिका की लिखित स्वीकृति के बिना, बनाया या विरचित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक स्वास्थ्य अधिकारी ने नगरपालिका की सूचना के लिए लिखित रूप में प्रमाणित न कर दिया हो कि ऐसा कब्रिस्तान या श्मशान लोक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है :

परन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना ऐसा कोई कब्रिस्तान या श्मशान बनाया या विरचित नहीं किया जाएगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना, ऐसे स्थान पर, जो कब्रिस्तान या श्मशान नहीं है, या किसी ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान में, जो इस धरा के उपबन्धों के प्रतिकूल बनाया या विरचित किया गया, या उसे बन्द करने के लिए तद्धीन नियत तारीख के पश्चात् कोई शव दफनाता या जलाता है, अथवा दफनवाता या जलवाता है अथवा उसका दफनाया जाना या जलाया जाना अनुज्ञात करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा।

113. कुत्तों का स्वच्छन्द होना.—कोई भी व्यक्ति, जो किसी कुत्ते का स्वामी या भारसाधक है और जो उसे निम्नलिखित दशाओं में इस प्रकार अवरूद्ध करने में उपेक्षा करता है कि वह मुख–पट्टे के बिना किसी गली में स्वच्छन्द न घूमे—

(क) यदि ऐसे कुत्ते द्वारा किन्हीं यात्रियों को क्षुब्ध या अभित्रस्त किए जाने की सम्भावना है, या

(ख) यदि नगरपालिका ने अलर्क रोग फैलने के दौरान सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्दिष्ट किया है कि बिना मुख–पट्टे के कुत्ते स्वच्छन्द नहीं किए जाएंगे, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

114. हाथियों, भालुओं या ऊंटों का नियन्त्रण.—जो कोई भी किसी हाथी, भालू या ऊंट का प्रभारी होते हुए ऐसा अनुरोध करने पर, अपने हाथी, भालू या ऊंट को घोड़े की पहुंच से, जिस पर सवारी की जा रही हो या जिसे ले जाया जा रहा हो, जहां तक व्यवहार्य हो, सुरक्षित दूरी पर नहीं हटाता है, जुर्माने से जो बीस रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

115. लोक मार्ग के साथ–साथ हाथी को ले जाना.—जो कोई भी, नगरपालिका के आदेशों के विरूद्ध, हाथी को मार्ग के साथ–साथ ले जाता है, जुर्माने से, जो बीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

124. स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर खेती का या खाद के उपयोग का या सिंचाई का प्रतिषेध.—(1) यदि स्वास्थ्य अधिकारी प्रमाणित करता है कि किसी ऐसे स्थान पर किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का उपयोग या किसी विनिर्दिष्ट रीति में भूमि की सिंचाई,—

(क) किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर पड़ोस में निवास कर रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर है या ऐसी क्रियाओं को सुकर बनाती है जो क्षतिकर है; या

(ख) किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर, ऐसे नगरपालिका क्षेत्र के जल प्रदाय को संदूषित करती है या अन्यथा उसे पीने के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त बनाती है;

तो नगरपालिका ऐसी फसल की खेती को, ऐसी खाद के उपयोग को या सिंचाई की ऐसी पद्धति के प्रयोग को, जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार क्षतिकर होने की रिपोर्ट की गई है, रोक सकती है, या उनके बारे में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकती है, जिनसे ऐसी क्षति या संदूषण निवारित किया जा सके :

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसी फसल की खेती, ऐसी खाद का उपयोग या सिंचाई की ऐसी पद्धति का प्रयोग प्रतिषिद्ध है या उनके सम्बन्ध में अधिरोपित हैं, तो नगरपालिका के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा प्रतिषेध लगाया है, या ऐसी शर्तें लगाई हैं, और वह अधिसूचना के अनुसार नोटिस जारी करेगी :

परन्तु यह और कि जब किसी भूमि पर, जिसे ऐसा प्रतिषेध लागू होता है, प्रतिषिद्ध कार्य खेती के सामान्य अनुक्रम में प्रतिषेध से तुरन्त पूर्व पांच वर्षों के दौरान किया जाता रहा है, तो उसमें हितबद्ध सभी व्यक्तियों को, ऐसे प्रतिषेध के प्रभाव के कारण हुए किसी नुकसान के लिए प्रतिकर नगरपालिका निधि में से दिया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रतिषेधात्मक नोटिस की तामील के छः मास के भीतर उसका अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये होगा।

125. उद्वेजक तथा संकटपूर्ण व्यापार विनियम.—(1) किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान का उपयोग, स्वामी या अधिभोगी द्वारा नगरपालिका से प्राप्त तथा वर्षानुवर्ष नवीकरणीय अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय, निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए नहीं किया जाएगा—

(क) चर्बी पिघलाना, कच्चा चमड़ा साफ करना, हड्डियां, मांसावशिष्ट या रक्त उबालना;

(ख) साबुन के कारखाने, तेल उबालने के कारखाने, रंगरेजी के कारखाने या चर्मशोधन के कारखाने;

(ग) ईंटों के क्षेत्र, ईंटों के भट्ठे, लकड़ी के कोयले के भट्ठे, मिट्टी के बर्तनों के कारखाने या चूने के भट्ठे;

(घ) कोई अन्य विनिर्माणशाला, इंजन गृह भंडार या कारबार स्थान, जिनसे उद्वेजक या अस्वास्थ्यकर गंध, गैसों, आवाजें या धुआं निकलता है;

(ङ) अनबुझा चूना, सूखी घास, भूसा, छप्पर डालने की घास, लकड़ी, काठ–कोयला या कोयला या खतरनाक रूप से सुदाह्य अन्य सामग्री में व्यापार करने के लिए वार्ड या आगार;

(च) किसी विस्फोटक के लिए या पैट्रोल या किसी सुदाह्य तेल या स्पिरिट के लिए भंडार।

(2) अनुज्ञप्ति देने से इन्कार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक नगरपालिका का यह विचार नहीं है कि वह कारबार, जिसे स्थापित करना या बनाए रखना आशयित है, वहां निवास करने वाले या निकटतम पड़ोस में आने–जाने वाले व्यक्तियों के क्षोभ, उद्वेग या संकट का हेतुक होगा अथवा किसी क्षेत्र को, सामान्य कारणों के लिए, ऐसे कारबार की स्थापना से बचा रखना चाहिए।

(3) नगरपालिका, उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले माप–मान के अनुसार ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए कोई फीसें प्रभावित कर सकती हैं और उनके बारे में ऐसी शर्त अधिरोपित कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे। अन्य शर्तों के साथ–साथ वह यह भी विहित कर सकती है कि ऐसे व्यापार से सम्बद्ध कोई भट्ठी, यथासाध्य अपना धुआं स्वयं ही खपा लेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति के बिना, किसी स्थान का उपयोग, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट है या किसी ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन करते हुए करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, दस रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

126. नए कारखाने या कर्मशाला स्थापित करने के लिए नगर पालिका की सम्मति.—(1) किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की सम्मति प्राप्त किये बिना किसी नए कारखाने या कर्मशाला की स्थापना नहीं करेगा।

(2) नगरपालिका की सम्मति बिना शर्त के या इस शर्त के अध्यधीन दी जा सकती है कि उक्त कारखाने का स्वामी या उपयोगकर्ता कारखाने में नियोजित श्रमिकों या ऐसे श्रमिकों के किसी अनुपात या वर्ग के लिए पर्याप्त आवास–स्थान की व्यवस्था करेगा :

परन्तु नगरपालिका की सम्मति, ऐसे स्वामी या उपयोगकर्ता के ऐसी शर्त का अनुपालन करने से इनकार करने के सिवाये किसी कारण से रोकी नहीं जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि नगरपालिका आवेदन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर अपनी सम्मति देने में उपेक्षा या लोप करती है, तो ऐसी सम्मति बिना शर्त के दी गई समझी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का भंग करता है, दोषसिद्धि पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक एक हजार रुपये होगा और यदि भंग चालू रहने वाला हो तो अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम भंग के पश्चात् भंग चालू रहता है, एक सौ रुपये होगा।

127. अनुज्ञप्त परिसरों से भिन्न स्थानों में सिनेमैटोग्राफ और नाट्य अभिनयों पर प्रतिषेध.—(1) किसी सिनेमैटोग्राफ अथवा अन्य समरूप साधित्र के माध्यम से चित्रों या अन्य दृश्यों का कोई भी प्रदर्शन, जिसके प्रयोजन के लिए, ज्वलनशील फिल्में प्रयोग में लाई जाती हैं, और कोई भी सार्वजनिक नाट्य अथवा सर्कस अभिनय या मूकाभिनय किसी नगरपालिका–क्षेत्र में ऐसे परिसरों से भिन्न स्थानों में नहीं किया जाएगा, जिनके लिए नगरपालिका द्वारा इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति दी गई है।

(2) यदि इस धारा के उपबन्धों के, या इस धारा के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन में किसी सिनेमैटोग्राफ या अन्य साधित्र का स्वामी ऐसे उपकरण का उपयोग करता है या उसका उपयोग अनुज्ञात करता है, अथवा कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक नाट्य या सर्कस अभिनय या मूकाभिनय में भाग लेता है, या किन्हीं परिसरों का अधिभोगी उन परिसरों का उपयोग अनुज्ञात करता है, तो वह जुर्माने का दायी होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये हो सकती है और अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, नगरपालिका द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकती है।

128. व्यापारों को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.—(1) जब कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन पंजीकृत या अनुज्ञप्त कोई स्थान पड़ोस के लिए कोई न्यूसेन्स है या उसका

जीवन, स्वास्थ्य या सम्मति के लिए संकटपूर्ण होना संभाव्य है, तो नगरपालिका उसके अधिभोगी से ऐसे स्थान का उपयोग बन्द करने या उसमें ऐसे परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार करने की अपेक्षा कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो तो ऐसा करेगी, जिससे नगरपालिका की राय में वह न्यूसेन्स या संकटपूर्ण न रह जाए।

(2) जो कोई भी व्यक्ति, इस धारा के अधीन दिए गए किसी नोटिस के पश्चात् ऐसी किसी रीति में ऐसे स्थान का उपयोग करता है या उसका उपयोग अनुज्ञात करता है जिससे ऐसा करना पड़ोसी के लिए न्यूसेन्स या संकटपूर्ण बन जाता है या ऐसे परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार नहीं करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कम से कम पचास रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

129. वाष्प–चालित सीटियों इत्यादि का प्रयोग.—(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी कारखाने या अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार की सीटी या तुरही या ऐसी किसी अन्य यांत्रिक प्रयुक्ति, जो अरूचिकर शोर उत्सर्जन करती है, का प्रयोग, कर्मकारों या नियोजित व्यक्तियों को बुलाने या विसर्जित करने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, न ही कोई व्यक्ति किसी प्रयुक्ति द्वारा ऐसे किसी कारखाने या स्थान पर उत्सर्जित शोर को, निकासी पाईप या इंजन द्वारा, नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं बढ़ाएगा, ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय नगरपालिका ऐसी सीटी या तुरही या अन्य प्रयुक्ति के प्रयोग के समय को निर्बन्धित करते हुए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी वह उचित समझे।

(2) नगरपालिका उप–धारा (1) के अधीन दी गई किसी भी अनुज्ञा को एक मास का नोटिस देकर प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(3) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार की सीटी, तुरही या प्रयुक्ति का प्रयोग या नियोजन करता है, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास रुपये तक हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच रुपये तक हो सकेगा।

133. जन प्रदाय के किसी स्रोत के निकट शौचालयों, आदि का हटाया जाना.—(1) नगरपालिका, नोटिस द्वारा, किसी स्वामी या अधिभोगी से, जिसकी भूमि पर कोई नाली, शौचगर्त, शौचालय, मूत्रालय, मलकुण्ड अथवा गन्दगी या कूड़ा–कर्कट का कोई अन्य आधान तत्समय किसी ऐसे चश्में, कूप, तालाब, जलाशय या अन्य स्रोत के पचास फुट के भीतर विद्यमान है, जहां से सार्वजनिक उपयोग के लिए जल प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है, अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे नोटिस की तामील से एक सप्ताह के भीतर उसे हटा दे या बन्द कर दे।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना, इस धारा के अधीन नोटिस के पश्चात् एक सप्ताह से दीर्घतर समय के लिए कोई नाली, शौचगर्त, शौचालय, मूत्रालय, मलकुण्ड अथवा गन्दगी या कूड़ा–कर्कट का कोई अन्य आधान, किसी ऐसे चश्में, कूप, तालाब, जलाशय या अन्य स्रोत के पचास फुट के भीतर बनाता है या रखता है, जहां से सार्वजनिक उपयोग के लिए जल प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और कोई नोटिस जारी किए जाने पर हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, दस रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

135. प्राधिकार के बिना नालियां बनाना या उनमें परिवर्तन करना.—कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना नगरपालिका के निहित किन्हीं मल–प्रणालों या जल–निकाय नालियों में मिलने वाली कोई नाली बनाता या बनवाता है अथवा उसमें परिवर्तन करता है, या करवाता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

140. नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना मुख्य नल के साथ सम्बन्धन का न किया जाना.—(1) नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे वह जो भी हो, नगरपालिका द्वारा सन्निर्मित या अनुरक्षित या उसमें निहित किसी केबिल, तार, नली, जोड़चूड़ी, नाली, मल–प्रणाल या सरणी के साथ कोई सम्बन्धन या संचार नहीं करेगा या करवाएगा।

(2) उप–धारा (1) के निबन्धनों के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

143. हैजा, चेचक आदि की सूचना देना.—कोई भी व्यक्ति, जो—

(क) चिकित्सा व्यवसायी है या खुले आम और निरन्तर चिकित्सा व्यवसाय करता है और जिसे ऐसे व्यवसाय के अनुक्रम में सार्वजनिक चिकित्सालय से भिन्न किसी आवास में किसी संक्रामक रोग के विद्यमान होने का संज्ञान है;

(ख) ऐसे आवास का स्वामी या अधिभोगी है, और उसे ऐसे रोग के विद्यमान होने का संज्ञान है; या

(ग) ऐसे आवास में ऐसे किसी रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति का भारसाधक है या उसकी सेवा में उपस्थित रहने वाला व्यक्ति है और उसे उसमें रोग के विद्यमान होने का संज्ञान है;

स्वास्थ्य अधिकारी को या किसी अन्य अधिकारी को, जिसे नगरपालिका ऐसे रोग के विद्यमान होने के बारे में सूचना दी जानी अपेक्षित करे, तत्काल सूचना देने में असफल रहता है, या जानबूझकर मिथ्या सूचना देता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

146. रोगाणुयुक्त गृह किराए पर देने के लिए शास्ति.—प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई ऐसा गृह या अन्य निर्माण या ऐसे गृह या निर्माण का कोई भाग, जिसमें कोई व्यक्ति किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त रहा है, किसी ऐसे गृह या अन्य निर्माण या उसके भाग और उसमें की सभी वस्तुओं को, रोगाणु रहना संभावित है, नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में रोगाणुनाशन जिनमें बिना, किराये पर देता है, शास्ति का दायी होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी होटल या आवास गृह के मालिक के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसने अपने होटल या आवासगृह में अतिथि के रूप में प्रविष्ट व्यक्ति को अपने गृह का भाग किराए पर दिया है।

148. कतिपय रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य.—कोई भी व्यक्ति, जो किसी संक्रामक, सांसर्गिक या घृणित रोग से ग्रस्त होते हुए,—

(क) मानवीय उपभोग के लिए खाने या पीने की कोई वस्तु या कोई औषध या औषधि बनाता है या विक्रय के लिए प्रस्थापित करता है; या

(ख) अन्य द्वारा विक्रय के लिए रखी ऐसी किसी वस्तु, औषध या औषधि को छूता है; या

(ग) मैले वस्त्र धोने या वहन करने के कारबार में कोई भाग लेता है;

जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

149. जीव–जन्तुओं का ऐसे रखा जाना कि वे स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर हों.—कोई भी व्यक्ति, जो किन्हीं ऐसे आदेशों की अवहेलना में, जो नगरपालिका ने सुअरों और अन्य जीव जन्तुओं को न्यूसेन्स बन जाने से, या निवासियों या जीव–जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर होने से निवारित करने के लिए किए हों, कोई सुअर या अन्य जीव–जन्तु रखता है, पचास रुपये के और पश्चात्वर्ती प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक सौ रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

150. पशुओं को हानिकारक पदार्थ खिलाना.——जो कोई भी, किसी ऐसे पशु को, जिसे दुग्ध उद्योग के प्रयोजन के लिए रखा गया है या जिसका उपयोग आहार के लिए किया जा सकता है, हानिकारक पदार्थ, गन्दगी या किसी भी प्रकार का कचरा खिलाता है या खिलाने की अनुमति देता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा।

कोई व्यक्ति–

(क) किसी सार्वजनिक स्थान में बन्दरों, लंगूरों तथा अन्य आवारा पशुओं को खिलाएगा नहीं;

(ख) सार्वजनिक स्थान, लोक सड़क, लोक मार्ग या दीवारों पर थूकेगा नहीं; या

(ग) इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका द्वारा उपलब्ध डिब्बा (कंटेनर) के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क, भाग या खुली पहाड़ियों पर किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा (रिफयूज) आदि नहीं फेंकेगा।

स्पष्टीकरण.——खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए पद "सार्वजनिक स्थान" में मन्दिर सम्मिलित नहीं होंगे।

(3) जो कोई भी उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह, नगरपालिका द्वारा ऐसे सार्वजनिक स्थान, सड़क, मार्ग या खुली पहाड़ियों से ऐसे कूड़ा–कचरा (रिफयूज) आदि को साफ करने या हटाने हेतु उपगत अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

152. अव–मानक खाद्य पदार्थ और पेय के विक्रय के लिए शास्ति.——(1) जो कोई भी, किसी क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी खाद्य या पेय की वस्तु को बेचता है, जो क्रेता द्वारा मांगी गई वस्तु की प्रकृति, तत्व या क्वालिटी की नहीं है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु निम्नलिखित दशाओं में अपराध, इस धारा के अधीन किया गया नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :——

(क) जहां कोई पदार्थ या संघटक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो, खाद्य या पेय में उसके उत्पादन या तैयार करने, वाणिज्यिक तौर पर उसे वहन करने या उसे उपभोग के लिए

ठीक रखने के लिए मिलाया गया हो और उसे परिणाम, भार या मात्रा को बढ़ाने के लिए या घटिया क्वालिटी को छिपाने के लिए कपटपूर्वक न मिलाया गया हो;

(ख) जहां खाद्य या पेय में, एकत्रीकरण या तैयार करने की प्रक्रिया में कोई बाह्य पदार्थ अपरिहार्य तौर पर मिलाया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन किसी भी अभियोजन में, यह अधिकथित करना कि विक्रेता, उस द्वारा विक्रय की गई वस्तु की प्रकृति, तत्व या क्वालिटी से अनभिज्ञ था या क्रेता ने ऐसी वस्तु केवल विश्लेषण के लिए लाई है जिससे विक्रय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरक्षा नहीं होगी।

(3) इस धारा के उपबन्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

159. हानिकर पदार्थ हटाने में असफलता.—कोई भी व्यक्ति, जो किसी निर्माण या किसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी है, धूल, गोबर, हड्डियां, राख, विष्ठा या गन्दगी या हानिकर या उद्वेजक पदार्थ ऐसे निर्माण या भूमि के अन्दर या उसके ऊपर किसी उचित आधान या गड्ढे से भिन्न किसी स्थान पर चौबीस घण्टे से अधिक के लिए रखता है या जानबूझ कर या उपेक्षावश रखने देता है या किसी ऐसे आधान या गड्ढे को गन्दी या हानिकर दशा में रहने देता है या उसे साफ और शुद्ध कराने के लिए उचित साधनों का प्रयोग करने में उपेक्षा करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

162. बालकों तथा अन्यों द्वारा न्यूसेन्स.—कोई भी व्यक्ति, जो अपने नियंत्रणाधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 82, 83 तथा 84 के उपबन्ध लागू होते हैं, किसी मार्ग में या किसी सार्वजनिक मल–प्रणाल या नाली में या उसमें मिलने वाली किसी नाली में कोई न्यूसेन्स करने देता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

166. अपमार्जन आदि.—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी आधान में मल का अपने सिर पर वहन नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो 18 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं है, गृहापमार्जन या झाड़ू लगाने के काम में किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लगाया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

172. जीव–जन्तुओं के विक्रयार्थ वध के लिए स्थान.––(1) नगरपालिका, उपायुक्त के अनुमोदन से, या तो नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अथवा उससे बाहर जीव–जन्तुओं के या ऐसे जीव–जन्तुओं के किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के विक्रयार्थ वध के लिए परिसर नियत कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो नियत करेगी, और तत्सदृश अनुमोदन से ऐसे परिसरों के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकती है और उनको वापस ले सकती है, या यदि ऐसे परिसर नगरपालिका के हों, तो उनके प्रयोग के लिए किराया अथवा फीसें प्रभारित कर सकती है।

(2) जब नगरपालिका द्वारा ऐसे परिसर, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर नियत किए गए हैं, तो वह उनका निरीक्षण तथा विनियमन, उप–विधियों के अनुसार करेगी, मानों वे नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ही हों।

(3) जब ऐसा कोई परिसर नियत कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर ऐसे किसी जीव–जन्तु का विक्रयार्थ वध नहीं करेगा।

(4) यदि कोई स्थान इस प्रकार नियत किए गये हैं, तो कोई व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन नगरपालिका द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर नियत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी जीव–जन्तु का विक्रयार्थ वध करता है, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

173. मृत जीव–जन्तुओं का व्ययन.––(1) जब कभी किसी व्यक्ति के भर साधन में कोई जीव–जन्तु विक्रयार्थ अथवा किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए वध से अन्यथा मर जाता है, तो उस जीव–जन्तु का भार–साधक व्यक्ति चौबीस घण्टे के भीतर या तो––

(क) नगरपालिका द्वारा जीव–जन्तुओं के शवों के व्ययन के लिए धारा 154 के अधीन नियत किसी स्थान को, यदि कोई हो, अथवा ऐसे किसी स्थान को जो नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से कम से कम एक किलोमीटर बाहर हो, शव को पहुंचाएगा; या

(ख) जीव–जन्तु की मृत्यु पर नगरपालिका को नोटिस देगा, जिस पर नगरपालिका शव का व्ययन कराएगी।

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी जीव–जन्तु के शव के व्ययन के सम्बन्ध में, नगरपालिका ऐसी फीस प्रभारित कर सकती है, जो नगरपालिका ने सार्वजनिक नोटिस द्वारा विहित की हो।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए "जीव जन्तु" शब्द से, सभी सींगधारी पशु, हाथी, ऊँट घोड़ा, टट्टू, गधे, खच्चर, हिरण, भेड़–बकरियां, सुअर तथा अन्य बड़े जीव–जन्तु अभिप्रेत समझे जाएंगे।

(4) इस धारा की उप–धारा (1) के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध कोई व्यक्ति, यदि वह ऐसा कृत्य करने में असफल रहता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

175. वृक्षों का काटने, निर्माणों के परिनिर्माण या तोड़ने के समय मार्गों का संरक्षण.––(1) कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे किन्हीं पेड़ों को नहीं काटेगा या किसी पेड़ की किसी शाखा को नहीं काटेगा, या किसी निर्माण अथवा उसके किसी भाग को परिनिर्मित या भंजित नहीं करेगा या किसी निर्माण की बाहर की तरफ परिवर्तन या मुरम्मत नहीं करेगा, जहां ऐसी कार्रवाई की प्रकृति ऐसी है जिससे किसी मार्ग का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिए अवरोध, संकट या क्षोभ का जोखिम कारित होता है।

(2) नगरपालिका, किसी समय, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि उप–धारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों में से कोई कार्य करने वाला या करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति, उस कार्य को आरम्भ करने से या चालू रखने से विरत रहेगा, जब तक वह ऐसे विज्ञापन पट्टे या पर्दे, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट या वर्णित किये गये हैं, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सहित सूर्यास्त से सूर्योदय तक नहीं लगाता है, नहीं बनाए रखता है और उनकी व्यवस्था नहीं करता है और नगरपालिका आगे किसी समय, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि उक्त कार्यों में किसी कार्य के पूर्वानुमान में या उसके अनुसरण में परिनिर्मित किसी विज्ञापन–पट्ट को, नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर हटाया जाए।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उप–धारा (2) के अधीन किसी नोटिस के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा तथा जब उल्लंघन या अननुपालन चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन के पश्चात् उल्लंघन या अननुपालन होता रहता है, दस रुपये होगा।

180. शास्ति.——कोई भी व्यक्ति, जो धारा 176 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना या इस अधिनियम की धारा 178 के अधीन किये गये किन्हीं लिखित निदेशों के या किसी उप–विधि या इस अधिनियम के उपबन्ध के उल्लंघन में किसी मार्ग का अभिन्यास करना या बनाना आरम्भ करता है, चालू रखता है या पूरा करता है, जुर्माने का दायी होगा जो कम से कम पचास रुपये तथा अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा।

183. मार्ग पर अतिक्रमण या प्रलम्बी संरचना के लिए दण्ड.——(1) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना, मार्ग पर या उसके नीचे किसी मल–प्रणाल, या जलमार्ग पर या उसके ऊपर अथवा नीचे कोई स्थावर अतिक्रमण करता है, या उक्त भूतल के ऊपर किसी स्थान पर किसी मार्ग की ओर बाहर निकली हुई कोई स्थावर प्रलम्बी संरचना परिनिर्मित करता है या पुनः परिनिर्मित करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये तथा अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिका, नोटिस द्वारा किसी व्यक्ति से, जिसने उक्त उप–धारा के उपबन्धों को भंग किया है, अप्राधिकृत सन्निर्माण को तुरन्त बन्द करने तथा सात दिन की अवधि के भीतर यथा पूर्वोक्त ऐसे स्थावर अतिक्रमण या प्रलम्बी संरचना को हटाने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति सात दिन की उक्त अवधि के भीतर नगरपालिका को समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित करने में उसफल रहता है, तो नगरपालिका स्वयं ऐसे उपाय कर सकती है, जो उसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और ऐसे उपायों का खर्च, यदि उससे मांग की जाने पर संदत्त नहीं किया जाता, तो ऐसे व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा।

184. सार्वजनिक मार्ग के अधिभोग की अनुज्ञा देने तथा अवरोध हटाने की शक्ति.——(1) नगरपालिका, ऐसी शर्तों पर, जो मार्ग से गुजरने वाले या पड़ोस में निवास करने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा के लिए उपायुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएं, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दे सकती है, और स्वविवेकानुसार अनुज्ञा वापस ले सकती है——

(क) किसी सार्वजनिक मार्ग के भूतल पर या किसी मल–प्रणाल, नाली या चल–मार्ग पर या उसके ऊपर कोई जंगम अतिक्रमण रखना या उक्त भूतल के ऊपर किसी स्थान पर ऐसे सार्वजनिक मार्ग की ओर बाहर निकली हुई कोई चल प्रलम्बी संरचना बनाना;

(ख) किसी सार्वजनिक मार्ग के बाड़ों या खम्बों के लिए खड़ंजा या अन्य सामग्री को उठाना या परिवर्तित करना;

(ग) किसी सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण सामग्री, विक्रय के लिए सामान या अन्य वस्तुओं का जमा करना या जमा कराना;

(घ) किसी मार्ग के ऊपर, उसके अन्दर या उसके नीचे कोई सुराख करना या खुदाई करना, या किसी मार्ग के नीचे से सामग्री हटाना, जिससे तल के धंस जाने का जोखिम कारित हो; या

(ङ) किसी सार्वजनिक मार्ग में कोई बाड़, खम्बा, स्टाल या पाड़, परिनिर्मित करना या स्थापित करना;

और ऐसी अनुज्ञा के लिए उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले माप मान के अनुसार फीसें प्रभारित कर सकती है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना उप–धारा (1) में वर्णित कार्यों में से कोई कार्य करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा और नगरपालिका या कार्यपालक अधिकारी या, सचिव या स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,––

(i) स्वामी को अपनी सामग्री हटाने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने और उसके ऐसा करने में असफल रहने के पश्चात्, पुलिस या किसी अन्य अभिकरण द्वारा, किन्हीं ऐसे जंगम अतिक्रमणों या प्रलम्बी संरचनाओं को और सामग्री, सामान या वाणिज्य, की वस्तुओं की और किसी ऐसी बाड़, खम्बे, स्टाल या पाड़ को हटा या हटवा सकता है;

(ii) मार्ग को किसी ऐसे परिवर्तन, उत्खनन या नुकसान से पहले की स्थिति में लाने के लिए उपाय कर सकता है।

(3) यदि उप–धारा (2) के खण्ड (i) विनिर्दिष्ट सामग्री का दावा नगरपालिका द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसके जमा किए जाने के पश्चात् एक पखवाड़े के भीतर स्वामी द्वारा नहीं किया गया है, या यदि स्वामी हटाए जाने या सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करने का वास्तविक खर्च नगरपालिका को संदत्त करने में असफल रहता है, तो नगरपालिका स्वामी के जोखिम पर सामग्री को नीलाम द्वारा बेच सकती है, और ऐसे विक्रय–आगम का अतिशेष, नगरपालिका द्वारा किए गए व्यय की कटौती के पश्चात् स्वामी को संदत्त किया जाएगा, या यदि स्वामी का पता नहीं चलता या यदि वह संदाय को स्वीकार करने से इन्कार कर देता है, तो अतिशेष, नगरपालिका द्वारा तब तक जमा रखा जाएगा, जब कि उसके

अधिकारिक व्यक्ति द्वारा उसका दावा नहीं किया जाता, और यदि दो वर्ष के भीतर कोई भी दावा नहीं किया जाता, तो नगरपालिका राशि को नगरपालिका–निधि में जमा करा सकती है।

स्पष्टीकरण.——इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "जंगम अतिक्रमण" के अन्तर्गत है, कोई सीट या बैंच और "जंगम प्रलम्बी संरचना" के अन्तर्गत है, किन्हीं सामग्रियों से बना कोई सायबान।

191. निर्देश खंभे, लैंप खंभे आदि नष्ट करना.——कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किए जाने के बिना, किसी नगरपालिका निर्देश खम्बे को, लैंप खंभे को या लैंप को विरूपित करता या छेड़ता है अथवा किसी सार्वजनिक स्थान की किसी नगरपालिका बत्ती को बुझाता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

192. अनुज्ञा के बिना इश्तहार लगाना.——(1) कोई भी व्यक्ति, जो स्वामी, अधिभोगी या तत्समय भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना किसी निर्माण, दीवार, वृक्ष, फलक, बाड़ या खूंटे के साथ या उसके ऊपर कोई प्रचार–पत्र, इश्तहार, नोटिस, ख्यापन पत्र या अन्य पत्र या विज्ञापन का साधन लगाता है अथवा किसी ऐसे निर्माण, दीवार, वृक्ष, फलक, बाड़ या खूंटे पर चाक से या रंग से अथवा अन्य किसी भी प्रकार से लिखता है, उसे दूषित, विरूपित या चिहिन्त करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

(2) धारा 247 में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय इस धारा की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, उस सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति के परिवाद पर, जिसके बारे में ऐसा अपराध किया गया अधिकथित किया जाता है, कर सकता है।

193. मार्गों निर्माणों आदि के नाम या नम्बर.——(1) नगरपालिका किसी मार्ग, चौक, परिक्षेत्र या निर्माण को कोई नाम या नम्बर दिलवा सकती है और किसी चौक, परिक्षेत्र या निर्माण के किसी ऐसे स्थान पर लगवा सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किसी मार्ग, चौक, परिक्षेत्र या निर्माण में लगाए गए किसी नाम या नम्बर को नष्ट करेगा, उतारेगा या विरूपित करेगा अथवा नगरपालिका के आदेश से लगाए गए नाम या नम्बर से भिन्न कोई नाम या नम्बर लगाएगा, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये, और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

196. जीव–जन्तुको बांधना या बैल–गाड़ियों को खड़ा करना.——(1) कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना किसी मार्ग पर जीव–जन्तुओं को बांधता है, या बैल–गाड़ियों को खड़ा करता है या किसी भाग का किसी प्रकार के यानों या जीव–जन्तुओं के लिए विराम स्थल के रूप में या शिविर स्थान के रूप में उपयोग करता है अथवा जीव–जन्तुओं को आवारा घुमाता या घूमने देता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

(2) किसी सार्वजनिक स्थान में, नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना बंधा, पगहे से बंधा या आवारा घूमता पाया गया कोई जीव–जन्तु, नगरपालिका के किसी कर्मचारी द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कांजी हाउस में भेजा जा सकता है।

197. उचित बत्तियों के बिना यानों का चलाना.——(1) कोई भी व्यक्ति, जो सूर्यास्त के आधे घंटे बाद से सूर्योदय से आधे घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान किसी मार्ग में उचित बत्तियों के बिना किसी यान को चलाता है या धकेलता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी मार्ग में किसी यान को चलाते, खींचते या धकेलते हुए, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना——

(क) बाएं रहने, या

(ख) जब वह, उसी ओर जा रहे किसी यान को लांघ रहा हो उस यान के दाईं ओर रहने में असफल रहता है, जुर्माने का दायी होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

198. ड्रम आदि बजाना.——कोई भी व्यक्ति, जो नगरपालिका द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष प्रतिषेध के उल्लंघन में, नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना, कोई ड्रम या ढोल बजाता है, नरसिंघा या तुरही बजाता है या कोई पीतल का या अन्य वाद्ययंत्र अथवा बर्तन बजाता है या उससे ध्वनि करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पच्चीस रुपये से अन्यून और दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–I.—बैंडों की दशा में ऐसे बैंड का प्रत्येक व्यष्टिक सदस्य इस धारा के अधीन दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–II.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "वाद्ययंत्र" के अन्तर्गत होगा, कोई ग्रामोफोन, कोई बेतार–ग्राही, कोई लाउडस्पीकर या विद्युत अथवा यंत्र प्रचलित कोई ऐसा वाद्ययंत्र जो जोर की आवाज उत्पन्न कर सकता है।

199. अग्न्यायुध आदि चलाना.—कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी रीति में, अग्न्यायुध चलाता है या आतिशबाजी, अग्नि गुब्बार या प्रस्फोटक चलाता है या किसी ऐसे अन्य खेल में लगता है, जिससे गुजरने वाले अथवा पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संकट अथवा सम्पत्ति को क्षति का जोखिम कारित हो या कारित होने की संभावना हो, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

200. निर्माण खदान–क्रिया, विस्फोट संक्रिया या काष्ठ का काटना.—कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी रीति में खदान क्रिया करता है, विस्फोट करता है, काष्ठ काटता है या निर्माण संक्रियाएं जारी रखता है, जिससे गुजरने वाले अथवा पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संकट कारित हो या कारित होने की संभावना हो, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

207. धारा 205 के अधीन निर्माण स्कीम की स्वीकृति पर निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के लिए दण्ड.—यदि धारा 205 के अधीन स्वीकृत किसी स्कीम के उपबन्धों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये, निर्माणों का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण प्रतिषिद्ध किया जाता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी स्कीम के स्वीकृत होने के पश्चात् किसी निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिये उपयोग करता है, जब तक वह स्कीम के स्वीकृत होने से पूर्व इस प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता था, दोषसिद्धि पर, जुर्माने का दायी होगा, जो कम से कम एक सौ रुपये और अधिक से अधिक पांच सौ रुपये होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिये उपयोग करता रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान उपयोग होता रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा।

211. अवज्ञा के लिए शास्ति.—यदि कोई निर्माण—

(क) धारा 203 की उप–धारा (1) द्वारा यथापेक्षित स्वीकृति के बिना; या

(ख) धारा 203 की उप–धारा (2) द्वारा यथापेक्षित नोटिस के बिना; या

(ग) जब स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया गया है,

आरम्भ किया गया, परिनिर्मित या पुनः परिनिर्मित किया गया हो, तो नगरपालिका निर्माण के पूर्ण होने से छः मास के भीतर स्वामी को परिदत्त नोटिस द्वारा निर्माण को, ऐसे नोटिस में, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवर्तित या भंजित करने की, जैसा वह आवश्यक समझे, अपेक्षा कर सकती है;

और यदि वह——

(घ) किसी दी गई स्वीकृति के निबन्धनों के उल्लंघन में;

(ङ) जब स्वीकृति समाप्त हो गई है; या

(च) धारा 204 के अधीन बनाई गई किसी उप–विधि के उल्लंघन में या किसी ऐसे निर्माण की दशा में जिसका परिनिर्माण धारा 208 की उप–धारा (5) के अधीन स्वीकृत समझा गया है, यदि वह धारा 205 के अधीन स्वीकृत किसी स्कीम के उल्लंघन में;

आरम्भ या परिनिर्मित किया जाए, तो नगरपालिका, निर्माण के पूरा होने से छः मास के भीतर स्वामी को परिदत्त नोटिस द्वारा निर्माण को, ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवर्तित या भंजित करने की, जैसा वह आवश्यक समझे, अपेक्षा कर सकती है :

परन्तु नगरपालिका किसी निर्माण को भंजित या परिवर्तित कर सकेगी जहां तक यह धारा 205 के अधीन तैयार किये गये निर्माण स्कीम के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक हो :

परन्तु यह और कि जहां पर निर्माण पूरा नहीं हुआ है, कार्यपालक अधिकारी, उसी आदेश द्वारा या पृथक् आदेश द्वारा चाहे वह इस उप–धारा के अधीन सूचना जारी करते समय या किसी अन्य समय दिया गया है, किसी व्यक्ति को, तब तक के लिए निर्माण या कार्य को जब तक तोड़े जाने के आदेश के विरूद्ध धारा 212, की उप–धारा (1) के अन्तर्गत अपील के लिए समय समाप्त नहीं हो जाता, रोक देने का निर्देश कर सकता है :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा कोई नोटिस इस आधार पर जारी किया जाता है कि कोई निर्माण, दी गई किसी स्वीकृति के निबन्धनों के उल्लंघन में अथवा धारा 204 के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उल्लंघन में आरम्भ अथवा परिनिर्मित किया गया है, तो वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया जाता है, ऐसे नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका को अपील कर सकता है और नगरपालिका का विनिश्चय धारा 212, 263 तथा 263 तथा 269 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि नगरपालिका के अन्तिम आदेश की प्रतिलिपि उसके किए जाने के तुरन्त पश्चात् अपीलार्थी को मुफ्त दी जाएगी।

(2) जहां निर्माण का स्वामी अपने बन्द किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के पश्चात् संशोधित रेखांक प्रस्तुत करता है और उसमें मंजूर रेखांक से विचलन है, तो नगरपालिका, उप–धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण निदेशों के अध्यधीन विचलन के मामलों का, मंजूर रेखांक से दस प्रतिशत तक प्रशमन कर सकेगी :

परन्तु जहां संशोधित रेखांक में–

(i) किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि; या

(ii) किसी लोक सड़क, मार्ग, पथ या नाली को आच्छादित करते हुए; या

(i) हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, निर्माण का परिनिर्माण अन्तर्वलित है;

वहां नगरपालिका मंजूर रेखांक से विचलन का प्रशमन नहीं करेगी।

(2क) उप–धारा (2) के अधीन नगरपालिका के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, नगरपालिका द्वारा आदेश पारित करने से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उपायुक्त को अपील कर सकेगा।

(2ख) उप–धारा (2क) के अधीन अपील में उपायुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(2ग) अपील प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, उप–धाराएं (2क) और (2ख) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपीलें दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उक्त उप–धाराओं के अधीन तीस दिन की अवधि की संगणना के लिए, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपाप्त करने के लिए व्यतीत हुआ समय अपवर्जित किया जाएगा।

(2घ) राज्य सरकार उप–धाराएं (2), (2क) और (2ख) में किसी बात के होते हुए भी, अत्याधिक कठिनाई के असाधारण मामलों में, मंजूर रेखांक से विचलन के मामलों का प्रशमन कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार समय–समय पर स्वीकृति रेखांकों से विचलन अन्तर्वलित करने वाले मामलों के प्रशमन से सम्बन्धित नीति के विषयों में ऐसे विशेष या साधारण निदेश दे सकेगी, जैसे कि इसकी राय में इस धारा की उप–धारा (2) के अधीन ऐसे मामलों में प्रशमन के लिए नगरपालिका द्वारा अपनाए जाने अपेक्षित हैं।

(4) यदि भवन का स्वामी स्वीकृत प्लान (रेखांक) से परे किसी मंजिल को बढ़ाने द्वारा किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका में निहित भूमि पर भवन के निर्माण द्वारा, या किसी सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रास्ते या नाली के आच्छादन द्वारा स्वीकृत प्लान (रेखांक) से विचलन करता है तो निगम, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे नागरिक सुविधाओं से वंचित कर सकेगा या उन्हें वापस ले सकेगा जिसके अन्तर्गत जल और नल प्रणाल कुनेक्शन भी है।

(5) कोई भी व्यक्ति जो उप–धारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन निर्माण या काम को रोकने के लिए दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करता है वह जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस के दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा।

221. नगरपालिका परिसीमा के भीतर वृक्षों के गिराए जाने का विनियमन.—(1) कोई भी व्यक्ति, विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से प्राप्त किए गए अनुज्ञापत्र के सिवाए, राज्य में किसी नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर विहित वर्ग के किसी वृक्ष को नहीं गिराएगा चाहे वह उसका हो या अन्यथा हो।

स्पष्टीकरण.—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए पद "वृक्ष के गिराने" के अन्तर्गत वृक्ष का काटना, विनाश करना या काटने या विनाश को कारित करना या हानि पहुंचाना है किन्तु वास्तविक काट–छांट, कतरन या अन्यथा झाड़ियों या फल वृक्षों का केवल बागवानी के प्रयोजन के लिए और अन्य छोटे कृत्य जैसे कि टहनियों का काटना, पर्णांगों का खोदना और इस प्रकार के कृत्य जिससे व्यक्ति या सम्पत्ति को इसके परिणामस्वरूप कोई तात्विक हानि न हो, इसके अन्तर्गत होंगे।

(2) वृक्ष गिराने के अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए तब तक कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा जब तक उसके साथ 10 रुपये की फीस न लगाई हो। यह राशि नए रोपण के लिए उपयोग की जाएगी।

(3) (i) उप–धारा (1) के उपबन्धों का भंग या उसके भंग के दुष्प्रेरण की बाबत विहित वर्ग के प्रत्येक वृक्ष का कटान या विनाश करना, पृथक अपराध होगा और कारावास से जो, तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ii) जब किसी व्यक्ति को उप–धारा (1) के उपबन्धों के भंग के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो, ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय, अधिरोपित दण्ड के अतिरिक्त, किसी वृक्ष/ईंधन/लकड़ी जिस भी रूप में इसे परिवर्तित किया गया हो और जिस की बाबत उप–धारा (1) के उपबन्धों को भंग किया गया है के संमपहरण के लिए उपलब्ध न हो तो, न्यायालय द्वारा इसका यथा अवधारित बाजार मूल्य उससे, उसी ही रीति में वसूलीय होगा जिसमें अधिरोपित जुर्माना वसूलीय होगा।

(iii) उप–धारा (1) के उपबन्धों का अपराध या भंग किसी प्राधिकारी द्वारा, शमन करने के लिए सशक्त संबद्ध नगरपालिका के पक्ष में, वृक्ष, ईंधन या लकड़ी के समपहरण का उपबंध किए बिना, शमनीय नहीं होगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के ऐसे उपबन्धों का भंग किया गया है या किया जाना संभाव्य है, उस वृक्ष, ईंधन या लकड़ी को जिसकी बाबत ऐसा भंग किया गया है और अपराध करने के लिए प्रयोग किए गए या किए जाने वाले सभी औजारों को अभिगृहीत कर सकेगा। अपराधी के दोषसिद्ध ठहराने पर या अपराध के शमन पर ये सभी वस्तुएं संबद्ध नगरपालिका को समपहृत की जाएंगी।

स्पष्टीकरण.——इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए शब्द "नगरपालिका" से, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत अभिप्रेत है।

(4) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम से संगत, नियम बना सकेगी और ऐसे सभी नियम विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

227. निरीक्षण कराने से इन्कार.——कोई भी व्यक्ति, जो धारा 224 या धारा 225 या धारा 226 या धारा 229 के उल्लंघन में किसी परिसर, खाद्य, पेय, औषधि या जीव–जन्तुओं का निरीक्षण कराने से इन्कार करता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपये होगा।

237. नगरपालिका के आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति.——कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक नोटिस द्वारा किए गए किसी विधिपूर्ण निदेश अथवा प्रतिषेधादेष की, अथवा तद्धीन उसके द्वारा विधिपूर्णतः जारी किए गए किसी लिखित नोटिस की अवज्ञा करता है, अथवा उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है जिसके अध्यधीन नगरपालिका द्वारा उसे उन शक्तियों के अधीन कोई अनुज्ञा दी गई थी और अवज्ञा अथवा लोप किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं है तो, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कम से कम पच्चीस रुपये और अधिक से अधिक दो

(ख) नगरपालिका क्षेत्रों को वार्डों में या निवासियों के वर्गों में विभाजन के बारे में या नगरपालिका क्षेत्रों के वार्डों में और निवासियों के वर्गों में विभाजन के बारे में;

(ग) प्रत्येक वार्ड या वर्ग के लिए समुचित प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में;

(घ) नगरपालिका के अनेक कर्त्तव्यों को दी जाने वाली पूर्विकता के बारे में;

(ङ) उस प्राधिकार के बारे में जिस पर नगरपालिका निधि में से धन संदत्त किया जा सकेगा;

(च) नगरपालिका के अग्निशामक दलों के गठन और कार्यकरण के बारे में, और ऐसे अग्निशामकों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए औजारों, मशीनरी या सूचना संसूचित करने के साधनों के बारे में;

(छ) ऐसी शर्तों के बारे में, जिन पर नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति अर्जित की जा सकती है या जिन पर नगरपालिका में निहित सम्पत्ति, विक्रय, बंधक, पट्टे, विनियम द्वारा या अन्यथा अंतरित की जा सकती है;

(ज) मध्यवर्ती कार्यालय या कार्यालयों के बारे में, यदि कोई हों, जिनके माध्यम से नगरपालिका या नगरपालिकाओं के सदस्यों और राज्य सरकार अथवा उस सरकार के अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार होगा;

(झ) नगरपालिकाओं के व्यय पर पूर्णतः या अंशतः सनिर्मित किये जाने वाले संकर्मों के रेखांकों और प्राक्कलनों की तैयारी के लिए और धारा 58 के अधीन बनाए गए मानचित्रों तथा पंजियों की तैयारी और नियतकालिक पुनरीक्षण के लिए और प्राधिकारियों के लिए जिनके द्वारा और शर्तों के लिए जिनके अध्यधीन, ऐसे रेखांक, प्राक्कलन, मानचित्र और पंजियां तैयार और स्वीकृत की जानी हैं;

(ञ) विद्युत ऊर्जा के प्रदाय के लिए विद्युत प्रदाय कम्पनियों के साथ संविदाओं के विनियमन के लिए;

(ट) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित करों के निर्धारण ओर संग्रहण के लिए, और करों का प्रशमन करने, उनका प्रतिदाय करने या उनके प्रतिदायों को सीमित करने के लिए, और उनका अपवंचन रोकने के लिए, और मांग नोटिसों के लिए संदेय फीसें नियत करने के लिए;

(ठ) उन शर्तों के बारे में जिन पर नगरपालिका, परिबद्ध भांडागार में जीव–जन्तुओं या वस्तुओं को प्राप्त कर सकती है और परिबद्ध भांडागार में जीव–जन्तुओं या वस्तुएं जमा करने के इच्छुक व्यापारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाले करारों के बारे में;

(ड) नगरपालिकाओं द्वारा रखे जाने वाले लेखों के बारे में, उन शर्तों के बारे में, जिन पर ऐसे लेखे इस अधिनियम मे अधीन किसी कर का संदाय करने वाले निवासियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहने हैं, उस रीति के बारे में, जिसमें से लेखों को परीक्षित और प्रकाशित किया जाना है, और अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में लेखा–परीक्षकों की शक्ति के बारे में;

(ढ) नगरपालिकाओं के आय और व्यय के प्राक्कलन तैयार करने के बारे में, और उन शक्तियों के बारे में, जिनके द्वारा और उन शर्तों के बारे में जिन के अध्यधीन ऐसे प्राक्कलन स्वीकृत किये जा सकते हैं;

(ण) नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों, विवरणों और रिपोर्ट के बारे में;

(त) धारा 209 के अधीन उपायुक्तों द्वारा प्रयोज्य शक्तियों के और ऐसे स्थानीय स्वायत शासन बोर्ड या निरीक्षणालय द्वारा प्रयोज्य शक्तियों के बारे में, जिन्हें राज्य सरकार स्थापित करे;

(थ) उस भाषा के बारे में, जिसमें कार्य निष्पादित किया जाएगा, कार्यवाहियां अभिलिखित की जाएंगी और नोटिस जारी किये जाएंगे;

(द) नोटिस के प्रकाशन के बारे में;

(ध) अभिकथित अपराधों के लिए धारा 248 के अधीन प्रशमन स्वीकृत करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाहियां विनियमित करने के लिए;

(न) धारा 156 के अधीन निर्धारण, प्रतिकर का उसके हकदार व्यक्तियों के बीच प्रभाजन और उनको संदाय का ढंग;

(प) धारा 156 के अधीन आदेश की, उससे प्रभावित वयक्तियों को, संसूचना देने का ढंग;

(फ) रीति, जिसमें कम्पोस्ट खाद बनाई जानी है;

(ब) नगरपालिका के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्था की स्थापना तथा कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रम के बारे में;

(भ) जहां स्वामी, नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई सुख सुविधाओं, जैसे, विद्युत, नल–जल प्रदाय, मल–प्रणाल आदि का लाभ नहीं उठाते, वहां जुर्माने के अधिरोपण के बारे में;

(म) गृहापमार्जन, में लगे हुए सफाई मजदूरों को संदत्त किये जाने वाले प्रभार विनियमित करते के बारे में;

(य) अपने प्राधिकार के अध्यधीन क्षेत्र की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करने हुए पर्याप्त सीमा–चिन्हों के परिनिर्माण और स्थापना को विनियमित करने के बारे में;

(य क) मार्ग काटने या मार्गों या नालियों को अवरूद्ध करने वाली बाधा या अवरोधों के हटाने के लिए शास्ति के बारे में;

(य ख) सूखे, या अन्य अपरिहार्य कारण या दुर्घटना, आदि की दशा में जल–प्रदाय के काटने अथवा जल का प्रदाय न करने के लिये किसी समिति को किसी समपहरण, शास्ति या नुकसानी के दायित्व से छूट के बारे में;

(य ग) मण्डियों के अनुज्ञापन, मण्डियां बनाने, किरायों और फीसों के संग्रहण तथा ऐसे व्यक्तियों के हटाने को विनियमित करने के बारे में, जो मंडियों में, स्टालों या स्थल का अप्राधिकृत रीति में अधिभोग करते हैं;

(य घ) नगरपालिकाओं के वार्षिक लेखों तथा रिपोर्टों की जांच करने तथा उन पर विचार–विमर्श करने के लिए और उनके सम्बन्ध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए मंडल तथा जिला मुख्यालयों पर शासकीय तथा अशासकीय सदस्यों की समितियों का गठन करने के बारे में;

(य ङ) रीति जिसमें जिला योजना समिति की सीटें भरी जाएंगी, के बारे में;

(य च) रीति जिसमें जिला योजना समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा, के बारे में;

(य छ) जिला योजना समिति से सम्बन्धित कृत्यों के बारे में;

(य ज) साधारणतः इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए;

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियम, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित विषयों के लिए भी उपबंध कर सकते हैं,–

(i) ''नगरपालिकाओं'' में स्थानों के आरक्षण के लिए;

(ii) नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के अवधारण के लिए।

(3) वर्तमानतः प्रचलित नगरपालिका लेखा संहिता इस धारा की उप–धारा (1) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में किया गया समझा जाएगा।

(4) उप–धारा (1) के खण्ड (च) और (ट) के अधीन नियम बनाते समय राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इनके उपबन्धों के किसी उल्लंघन में, जुर्माना किया जा सकेगा, जो पचास रुपये से कम और पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन के अधीन होंगे।

(6) इस धारा के अधीन बनाया गया नियम सभी नगरपालिका क्षेत्रों के लिए साधारण हो सकेगा या एक या अधिक नगरपालिकाओं के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए विशेष हो सकेगा जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे।

292. मतदान की गोपनीयता.—(1) किसी भी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बता देने की अपेक्षा नहीं ही जाएगी कि उसने निर्वाचन में किसको मत दिया है।

(2) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, एजैन्ट या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या गिनती से सम्बन्धित कर्त्तव्यों का पालन करता है, मतों की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और (सिवाय किसी विधि या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के) किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर इस धारा के उल्लंघन में कार्य करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीस मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 16 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 10.
3. Amendment of section 82.
4. Amendment of section 83.
5. Amendment of section 111.
6. Amendment of section 113.
7. Amendment of section 114.
8. Amendment of section 115.
9. Amendment of section 124.
10. Amendment of section 125.
11. Amendment of section 126.
12. Amendment of section 127.
13. Amendment of section 128.
14. Amendment of section 129.
15. Amendment of section 133.
16. Amendment of section 135.
17. Amendment of section 140.
18. Amendment of section 143.
19. Amendment of section 146.
20. Amendment of section 148.
21. Amendment of section 149.
22. Amendment of section 150.
23. Amendment of section 152.
24. Amendment of section 159.
25. Amendment of section 162.
26. Amendment of section 166.
27. Amendment of section 172.
28. Amendment of section 173.
29. Amendment of section 175.
30. Amendment of section 180.
31. Amendment of section 183.
32. Amendment of section 184.

33. Amendment of section 191.
34. Amendment of section 192.
35. Amendment of section 193.
36. Amendment of section 196.
37. Amendment of section 197.
38. Amendment of section 198.
39. Amendment of section 199.
40. Amendment of section 200.
41. Amendment of section 207.
42. Amendment of section 211.
43. Amendment of section 221.
44. Amendment of section 227.
45. Amendment of section 237.
46. Amendment of section 240.
47. Amendment of section 248.
48. Amendment of section 279.
49. Amendment of section 292.

Bill No. 16 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2016. Short title and commencement.

5 (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as 'principal Act'), in sub-section (4), after the words "three persons", the words and signs " in Nagar Panchayat 10 and not more than four persons in Municipal Council, as the case may be," shall be inserted. Amendment of section 10.

3. In section 82 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 82.

15 **4.** In section 83 of the principal Act, in sub-section (5), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of fifty rupees" shall be 20 substituted. Amendment of section 83.

Amendment of section 111.

5. In section 111 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than five hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 113.

6. In section 113 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted, and after section 113 as so amemded, the following proviso shall be inserted, namely :— 5

"Provided that to keep control on the growing number/ population of dogs, Municipality concerned may initiate steps to sterilize/vaccinate the pet/stray dog(s) with the help of Animal Husbandry Department situated in Urban or adjoining area of the Municipality on the expenses of owner, at the rate as may be notified by the Municipality from time to time and in case of stray or un-identified dogs, same shall be born out of the Municipal Fund.". 10

Amendment of section 114.

7. In section 114 of the principal Act, for the word "twenty", the words "two hundred" shall be substituted. 15

Amendment of section 115.

8. In section 115 of the principal Act, for the words "twenty", the words "two hundred" shall be substituted.

Amendment of section 124.

9. In section 124 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees" shall be substituted. 20

Amendment of section 125.

10. In section 125 of the principal Act, in sub-section (4), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees", the words "one thousand rupees and more than four thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees" shall be substituted. 25

Amendment of section 126.

11. In section 126 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "one hundred rupees and more than one thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of one hundred 30

rupees", the words and sign "two thousand five hundred rupees and more than ten thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted.

12. In section 127 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of fifty rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of one hundred rupees" shall be substituted. Amendment of section 127.

13. In section 128 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of two hundred rupees" shall be substituted. Amendment of section 128.

14. In section 129 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :— Amendment of section 129.

"(3) Whoever, in contravention of the provisions of this section, uses or employ any whistle, trumpet or other contrivance, shall be punishable with a fine which may not be less than five hundred rupees, and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees for every day during which the offence is continued.".

15. In section 133 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of ten rupees", the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted. Amendment of section 133.

16. In section 135 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 135.

17. In section 140 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the Amendment of section 140.

words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 143.

18. In section 143 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. 5

Amendment of section 146.

19. In section 146 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 148.

20. In section 148 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. 10

Amendment of section 149.

21. In section 149 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "fifty and of one hundred rupees", the words "five hundred and of one thousand rupees" shall be substituted.; and 15

(b) in sub-section (3), for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 150.

22. In section 150 of the principal Act, for the words "fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 152.

23. In section 152 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted. 20

Amendment of section 159.

24. In section 159 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. 25

Amendment of section 162.

25. In section 162 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

26. In section 166 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 166.

27. In section 172 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 172.

28. In section 173 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 173.

29. In section 175 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "twenty five rupees and more than two hundred rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of ten rupees", the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted. Amendment of section 175.

30. In section 180 of the principal Act, for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one hundred rupees and more than four thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 180.

31. In section 183 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 183.

32. In section 184 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 184.

33. In section 191 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 191.

34. In section 192 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 192.

Amendment of section 193.

35. In section 193 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 196.

36. In section 196 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 197.

37. In section 197 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 198.

38. In section 198 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 199.

39. In section 199 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 200.

40. In section 200 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 207.

41. In section 207 of the principal Act, for the words and sign "one hundred rupees and more than five hundred rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of fifty rupees", the words and sign "one thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues

to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

42. In section 211 of the principal Act,— Amendment of section 211.

(a) in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that person to whom notice to stop work or remove the construction stands delivered, the concerned officer/official shall be bound to take necessary steps to stop ongoing work or remove construction raised in contravention of the provisions of the Act forthwith. In case, the officer/official fails to do so, he shall be held personally responsible and shall be liable for disciplinary action under the relevant service rules:"; and

(b) in sub-section (5), for the words and signs "one thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to fifty rupees", the words and signs "five thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" shall be substituted.

43. In section 221 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (i), for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 221.

44. In section 227 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 227.

45. In section 237 of the principal Act, for the words and sign "twenty five rupees and more than two hundred rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of ten rupees", the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing breach, with a further fine of fifty rupees" shall be substituted. Amendment of section 237.

Amendment of section 240.

46. In section 240 of the principal Act, for the words "twenty five rupees and more than two hundred rupees", the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 248.

47. In section 248 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted. 5

Amendment of section 279.

48. In section 279 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "fifty rupees and more than five hundred rupees", the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 292.

49. In section 292 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "or with fine", the words "of five hundred rupees" shall be inserted. 10

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) provides for constitution of Municipalities, its powers and functions, financial control, development and planning, elections to the Municipalities and election disputes redressal mechanism and also provides penalities for offences under the Act. The penalities provided under the different provisions of the Act *ibid* is very nominal in the present time and age. Imposition of penalty ranging from rupees 25 to rupees 200 is considered not at all sufficient and is an apology in the name of penalty. The issue with regard to the existing penalities under the Municipal laws have also came before the Hon'ble High Court while hearing CWPIL No. 28/2011, titled as Abhishek Rai V/s State of Himachal Pradesh and others wherein the Hon'ble Court has observed that the Government should consider to enhance the penalities under the Municipal laws. The issue has been examined and it has been considered just and proper to enhance the penalities provided under various provisions of the Act *ibid* so as to make the provision more deterrent. Further, section 10 of the said Act provides for composition of Municipalities. Under this section, the State Government has the power to nominate not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration. Now, it has been proposed to increase the number of nominated members from three to four in Municipal Council. Further, in order to control the growing number/population of dogs, it has also been proposed to make a provision for sterilization/vaccination of the pets/stray dogs with the help of Animal Husbandry Department in urban and adjoining areas of the Municipalities on the expenses of owners and in the case of stray or un-identified dogs, expenses shall be born out of the Municipal fund. This has necessitated amendments in various provisions of the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ....., 2016.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

(SUDHIR SHARMA)
Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Sectetary (Law).

SHIMLA :

The ....., 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL ACT, 1994 (ACT NO. 13 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

10. *Composition of municipalities.*—(1) The municipalities constituted under section 3 shall consist of such number of elected members not less than seven as may be determined by the State Government, by adopting the criterion that in municipal area having population of :—

[(i)	Not exceeding 6150	.. 7 members
(ii)	Exceeding 6150 but not exceeding 12,300	.. 9 members
(iii)	Exceeding 12,300 but not exceeding 24,600	.. 11 members
(iv)	Exceeding 24,600 but not exceeding 36,900	.. 13 members
(v)	Exceeding 36,900 but not exceeding 49,200	.. 15 members
(vi)	Exceeding 49,200 but not exceeding 61,500	.. 17 members
(vii)	Exceeding 61,500	.. 19 members:]

Provided that the determination of the number of members as aforesaid shall not affect the composition of the municipality until the expiry of the term of office of the elected members then in office.

[Provided further that in case of increase or decrease in the number of wards (seats) in a municipality due to higher or lesser population growth rate of that municipality than the average population growth rate of the urban area of the State, as the case may be, in that event existing number of wards (seats) of that municipality shall be maintained.]

(2) Save as provided in sub-section (3), all seats in that municipality shall be filled in by persons chosen by direct election and for the purpose of election, the Deputy Commissioner shall, in accordance with such rules as may be prescribed by the State Government,—

(a) divide the municipal area into wards in such a manner that—

(i) one member shall be elected from each ward; and

(ii) as far as possible the population in each ward shall be equally distributed;

(b) determine the territorial extent of each ward; and

(c) determine the ward or wards in which seats are reserved under section 11.

(3) In a municipality, in addition to persons chosen by direct election under this section, the Members of the State Legislative Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the members with voting right.

(4) The state Government may, by notification, nominate as members not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration :

Provided that a person who contested and lost the immediately preceding election of a municipality shall not be nominated by the State Government as a member of that municipality or any other municipality during its existing term :

Provided further that a member nominated under this sub section whether before or after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2003 shall hold office during the pleasure of the State Government, but not beyond the term of municipality as provided for in sub section (1) of section 14 of this Act.

(5) The nominated members referred to in sub section (4) and the Executive Officer in case of Municipal Council and Secretary in case of Nagar Panchayat, shall have the right to attend all the meetings of the municipality and to take part in the discussion therein but shall not have any right to vote.

82. *Duty to furnish information.*—(1) Every person shall on the demand of an officer duly authorised by the municipality in this behalf furnish such information as may be necessary in order to ascertain whether such person is liable to pay any municipal tax; and every hotel or lodging house keeper or Secretary of a residential club shall also on demand made as aforesaid furnish a list of all persons residing in such hotel, lodging-house or club.

(2) If any person so called upon to furnish such information omits to do so or furnishes information which is untrue, he shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than five hundred rupees.

83. *Notice on transfers of titles.*—(1) Whenever the title to or over any building or land of any person primarily liable for the payment of property taxes on such property is transferred, the transferor and the transferee shall within three months of the registration of the deed of transfer if it be registered, or if it be not registered within three months of its execution, or if no instrument be executed, of the actual transfer, give notice in writing of such transfer to the municipality.

(2) Every person primarily liable for the payment of a tax on any property, who transfers his title to or over such property, without giving notice of such transfer to the municipality as

aforesaid, shall in addition to any other liability which he incurs through such neglect, continue to be liable for the payment of all such taxes from time to time payable in respect of the said property until he gives such notice, or until the transfer is recorded in the books of the municipality.

(3) Whenever the title to or over any building or land has devolved upon any person by inheritance, the heir shall within three months of the date of the death of the former owner give notice in writing of such inheritance to the municipality.

(4) Nothing in this section shall be held to diminish the liability of the transferee or heir for the said taxes or to affect the prior claim of the municipality for the recovery of the taxes due thereupon.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-sections (1) and (3) shall in addition to any other penalty which he incurs through such neglect, be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees, and in the case of a continuing breach with a further fine of ten rupees for every day after the first during which the breach continues.

111. *Powers in respect of burial and cremation grounds.*—(1) The municipality may by public notice order, and, if so directed by the State Government shall, within one month of such direction be deemed to have ordered, any burial or cremation ground situated within municipal area or within one kilometre thereof which is certified by the Health Officer to be dangerous to the health of persons living in the neighbourhood to be closed, from a date to be specified in the notice and shall in such case, if no suitable place for burial or cremation exists within a reasonable distance, provide a suitable place for the purpose.

(2) Private burial places in such burial grounds may be exempted from the notice, subject to such conditions as the municipality may impose in this behalf:

Provided that the limits of such burial places are, sufficiently defined, and that they shall only be used for the burial of the members of the family of the owners thereof.

(3) No burial or cremation ground, whether public or private, shall be made or formed after the commencement of this Act, except with the sanction in writing of the municipality which shall not be granted unless the Health Officer has certified in writing for the information of the municipality that such burial or cremation ground is not prejudicial to public health:

Provided that no such burial or cremation ground shall be made or formed, except with the sanction of the State Government.

(4) Should any person, without the permission of the municipality, bury or cremate, or cause or permit to be buried or cremated, any corpse at any place which is not a burial or cremation ground or in any burial or cremation ground made or formed contrary to the provisions of this section, or after the date fixed thereunder for closing the same, he shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than five hundred rupees.

113. *Dogs not to be at large.*—Whoever, being the owner or person in charge of any dog, neglects to restrain it so that it shall not be at large in any street without a muzzle—

(a) if such dog is likely to annoy or intimidate passengers, or

(b) if the municipality has by public notice during the prevalence of rabbis directed that dogs shall not be at large without muzzles.

shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

114. *Control of elephants, bears or camels.*—Whoever, being in charge of any elephant, bear or camel, omits, on being requested to do so, to remove, as far as may be practicable, his elephant, bear or camel to a safe distance on the approach of a horse, whether ridden or driven, shall be punishable with fine which may extend to twenty rupees.

115. *Taking elephants along public roads.*—Whoever, contrary to any orders of the municipality, takes an elephant along a street shall be punishable with fine which may extend to twenty rupees.

124. *Prohibition of cultivation of crop, use of manure or irrigation injurious to health.*—(1) If the Health Officer certified that the cultivation of any description of crop or the use of any kind of manure or the irrigation of land in any specified manner—

(a) in any place within the limits of any municipal area is injurious or facilitates practices which are injurious to the health of person dwelling in the neighbourhood; or

(b) in any place within or beyond the limits of any municipal area is likely to contaminate the water-supply of such municipality or otherwise render it unfit for drinking purposes;

the municipality may prohibit the cultivation of such crop, the use of such manure or the employment of the method of irrigation so reported to be injurious, or impose such conditions with respect thereto as may prevent such injury or contamination :

Provided that if it is notified by the State Government that the cultivation of such crop, the use of such manure, or the employment of such method of irrigation is prohibited or conditions are imposed with respect thereto, the municipality shall be deemed to have ordered such prohibition, or imposed such conditions, and shall issue notice, in accordance with the notification :

Provided also that, when on any land to which such prohibition applies the act prohibited has been practised during the five years next preceding the prohibition, in the ordinary course of husbandry, compensation shall be paid from the municipal fund to all persons interested therein for any damage caused to them by the effect of such prohibition.

(2) Should any person fail within six months from the date of its service to comply with a prohibitory notice issued under sub-section (1), he shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees for every day during which the offence is continued.

125. *Regulation of offensive and dangerous trade.*—(1) No place within a municipal area shall be used for any of the following purposes, namely :—

(a) melting tallow, dressing raw hides, boiling bones, offal or blood;

(b) soap house, oil-boiling house, dying house or tannery;

(c) brickfield, brick-kiln, charcoal kiln, pottery or lime-kiln.

(d) any other manufactory, engine-house, storehouse, or place of business from which offensive or unwholesome smells, gases, noises or smoke arise;

(e) yard or depot for trade in unslaked lime, hay, straw, thatching-grass, wood charcoal or coal, or other dangerously inflammable material;

(f) store-house for any explosive, or for petroleum or any inflammable oil or spirit;

except under a licence, obtained by the owner or occupier from the municipality which shall be renewable annually.

(2) The licence shall not be withheld unless the municipality considers that the business which it is intended to establish or maintain would be the cause of annoyance, offence or, danger to persons residing in, or frequenting the immediate neighbourhood, or that the area should be for general reasons kept clear of the establishment of such business.

(3) The municipality may charge any fees according to a scale to be approved by the Deputy Commissioner for such licences, and may impose such conditions in respect thereof as it may think necessary. Among other conditions it may prescribe that any furnace used in connection with such trade shall, so far as practicable, consume its own smoke.

(4) Whoever, without a licence uses any place for any such purpose as is specified in this section or in contravention of the conditions of any such licence, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees and with a further fine of ten rupees for every day during which the offence is continued.

126. *Consent of municipality to establish new factories or workshops.*—(1) Within any municipal area no person shall establish a new factory or workshop without having obtained the consent of the municipality.

(2) The consent of the municipality may be given without condition or subject to the condition that the owner or user of the said factory shall provide adequate housing accommodation for labourers employed in the factory or for any proportion or class of such labourers :

Provided that the consent of the municipality shall not be withheld for any reason except the refusal of such owner or user to comply with such condition :

Provided further that if the municipality neglects or omits to give its consent within a period of two months from the date of applications such consent shall be deemed to have been given without condition.

(3) Whosoever commits a breach of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall, on conviction be punishable with a fine, which shall not be less than one hundred rupees, and more than one thousand rupees, and when the breach is a continuing one, with a further fine of one hundred rupees for every day, after the first, during which the breach continues.

127. *Prohibition of cinematographs and dramatic performances except in licensed premises.*—(1) No exhibition of pictures or other optical effects by means of a cinematograph or other similar apparatus for the purpose of which inflammable films are used, and no public dramatic or circus performance or pantomime, shall be given in any municipality elsewhere than in premises for which a licence has been granted by the municipality under this section.

(2) If the owner of a cinematograph or other apparatus uses the apparatus or allows it to be used, or if any person takes part in any public dramatic or circus performance or pantomime, or if the occupier of any premises allows those premises to be used, in contravention of the provisions of this section, or of any condition of a licence granted under this section, he shall be liable to a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees and in the case of a continuing offence to a further penalty of fifty rupees for each day during which the offence continues and the licence, if any, shall be liable to be revoked by the municipality.

128. *Power to prohibit trades.*—(1) Whenever it appears, that any place registered or licensed under the preceding sections is a nuisance to the neighbourhood or likely to be dangerous to life, health or property, the municipality may, and if so required by the State Government, shall by notice require the occupier thereof to discontinue the use of such place, or to effect such alterations, additions or improvements as well, in the opinion of the municipality, render it no longer a nuisance or dangerous.

(2) Whoever, after any notice has been given under this section, uses such place or permits such place to be used in such a manner as to be a nuisance to the neighbourhood or dangerous or does not effect such alteration, addition or improvements, shall be punishable with a fine which shall not be less than fifty rupees and more than five hundred rupees and with a further fine of fifty rupees for every day during which the offence is continued.

129. *Use of steam whistles etc.*—(1) No person shall use or employ, in any factory or other place, any whistle or trumpet or any other mechanical contrivance which emits an offensive noise for the purpose of summoning of dismissing workmen or person employed, nor shall any person by means of any contrivance increase the noise emitted in any such factory or place by the exhaust pipe of any engine, without the written permission of the municipality, in granting which, the municipality may impose such conditions as it may deem proper, restricting the time at which such whistle or trumpet, or other contrivance may be used.

(2) The municipality may on giving one month's notice revoke any permission given under sub-section (1).

(3) Whoever, in contravention of the provisions of this section, uses or employs any whistle, trumpet or other contrivance, shall be punishable with a fine which may extend to fifty rupees, and with a further fine which may extend to five rupees for everyday during which the offence is continued.

133. *Removal of latrines etc. near any source of water supply.*—(1) The municipality may by notice, require any owner or occupier on whose land any drain, privy, urinal, cesspool or other receptacle for filth or refuse for the time being exists within fifteen metres of any spring, well, tank, reservoir or other source from which water is or may be derived for public use, to remove or close the same within one week from the service of such notice.

(2) Whoever, without the permission of the municipality, makes or keeps for a longer time than one week after notice under this section any drain, privy, latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or refuse, within fifty feet of any spring, well, tank, reservoir or any other source

from which water is or may be derived for public use, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of ten rupees for each day during which the offence is continued after the lapse of the period allowed for removal.

135. *Making or altering drains without authority.*—Whoever, without the permission of the municipality makes or causes to be made, or alters or causes to be altered, any drain leading into any of the sewer or drains vested in the municipality shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees.

140. *Connection with main not to be made without permission of municipality.*—(1) No person shall, without the permission of municipality, at any time make, or cause to be made, any connection or communication with any cable, wire, pipe ferrule, drain, sewer or channel constructed or maintained by or vested in the municipality, for any purpose whatsoever.

(2) Any person acting in contravention of the term of sub-section (1) shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

143. *Information in relation to cholera, small-pox, etc.*—Whoever—

(a) being a medical practitioner or a person openly and constantly practising the medical profession, and in the course of such practice becoming cognizant of the existence of any infectious disease in any dwelling other than a public hospital;

(b) being the owner or occupier of such dwelling and being cognizant of the existence of any such disease therein; or

(c) being the person incharge of or in attendance on any person suffering from any such disease in such dwelling and being cognizant of the existence of the disease therein;

fails forthwith to give information, or knowingly gives false information to the Health Officer or to any other officer to whom the municipality may require information to be given respecting the existence of such disease, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

146. *Penalty for letting infected houses.*—Every person knowingly letting a house or other building or part of a house or building in which any person has been suffering from an

infectious disease, without, having such house or other building or part thereof and all articles therein liable to retain infection disinfected to the satisfaction of the municipality, shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

Explanation.—For the purpose of this section, a hotel or lodging house-keeper shall be deemed to let part of his house to any person admitted as a guest into his hotel or lodging house.

148. *Acts done by persons suffering from certain disorders.*—Whoever, who is suffering from an infectious, contagious or loathsome disorder—

(a) makes or offers for sale any article of food or drink for human consumption or any medicine or drug; or

(b) wilfully touches any such article, medicine or drug which is exposed for the sale by other; or

(c) takes any part in the business of washing or carrying soiled clothes,

shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

149. *Keeping of animals injurious to health.*—(1) Whoever keeps any swine or other animals in disregard of any orders which the municipality may give to prevent them from becoming a nuisance, or so as to be injurious to the health of the inhabitants or of animals shall be punishable with a fine of fifty rupees and of one hundred rupees for every such subsequent offence.

(2) No person shall—

(a) feed the monkeys, langoors and other stray animals in any public place, or

(b) spit on public place, public road, public street or walls, or

(c) throw any type of garbage/refuse etc. on any public place, road, street or in open hill side except in a container provided by the municipality for this purpose.

Explanation.—For the purpose of clause (a), the expression "public place" shall not include temple.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2), he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, in addition to other charges incurred for cleaning or removal of such garbage/refuse etc. from such public place, road, street or open hill side by the municipality.]

150. *Feeding animals on deleterious substances.*—Whoever feeds or allows to be fed any animal, which is kept for dairy purposes or may be used for food, on deleterious substances, filth or refuse of any kind, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

152. *Penalty for selling sub-standard food or drinks.*—(1) Whoever sells to the prejudice of any purchaser, any article of food or drink which is not of the nature, substance or quality of the article demanded by such purchaser, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees :

Provided that an offence shall not be deemed to be committed under this section in the following cases, that is to say :—

(a) where any matter or ingredient not injurious to health has been added to food or drink for the production or preparation of the same as an article of commerce in a state fit for carriage or consumption, and not fraudulently to increase the bulk, weight or measure or conceal the inferior quality thereof;

(b) where food or drink is unavoidably mixed with some extraneous matter in the process of collection or preparation.

(2) In any prosecution under this section, it shall be no defence to allege that the vendor was ignorant of the nature, substance or quality of the article sold by him, or that the purchaser having bought such article only for analysis was not prejudiced by the sale.

(3) The provisions of this section shall be in addition to and not in derogation to the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (7 of 1954).

159. *Failure to remove noxious matter.*—Whoever, being the owner or occupier of any building or land, keeps knowingly or negligently or allows to be kept for more than twenty four hours, or otherwise than in some proper receptacle or pit any dirt, dung, bones, ashes, night soil or filth or any noxious or offensive matter in or upon such building or land or suffers any such receptacle or pit to be in a filthy or noxious state or neglects to employ proper means to cleanse and purify the same, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

162. *Nuisance by children and others.*—Whoever permits any person under his control to whom the provisions of sections 82, 83 and 84 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), are applicable to commit a nuisance upon any street or into any public sewer or drain or any drain communicating therewith, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

166. *Scavenging etc.*—(1) No person shall carry night soil in any receptacle on his head.

(2) No person who is not more than eighteen years of age shall be engaged by any person to take up house scavenging or sweeping.

(3) Whoever contravenes the provisions of this section shall be, punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

172. *Places for slaughter of animals for sale.*—(1) The municipality may, and shall when so required by the State Government, fix premises with the approval of Deputy Commissioner either within or without the limits of the municipal area for the slaughter of animals for sale, or of any specified description of such animals, and may, with the like approval, grant and withdraw licences for the use of such premises, or if they belong to the municipality, charge rent or fees for the use of the same.

(2) When such premises have been fixed by the municipality beyond municipal limits, it shall, inspect and regulate the same in accordance with the bye-laws, as if they were within those limits.

(3) When any such premises have been fixed no person shall slaughter any such animal for sale within the municipal area at any other place.

(4) Any person who slaughters, for sale any animal at any place within a municipal area other than one fixed by the municipality under this section, if any places have been so fixed, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

173. *Disposal of dead animals.*—(1) Whenever any animal in the charge of any person dies otherwise than by slaughter either for sale or for some religious purpose, the person incharge thereof shall within twenty four hours either—

(a) convey the carcass to a place, if any, fixed by the municipality under section 154 for the disposal of the dead bodies of animals or to any place at least one kilometre beyond the limits of municipal area; or

(b) give notice of the death to the municipality whereupon the municipality shall cause the carcass to be disposed of.

(2) In respect of the disposal of the dead body of an animal under clause (b) of sub-section (1) the municipality may charge such fees as the municipality may, by public notice have prescribed.

(3) For the purposes of this section the word "animal" shall be deemed to mean all horned cattle, elephants, camels, horses, ponies, asses, mules, deer, sheep, goats, swine and other large animals.

(4) Any person bound to act in accordance with sub-section (1) of this section shall, if he fails so to act, be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

175. *Protection of streets during cutting down of trees, erection or demolition of buildings.*—(1) No person shall cut down any tree or cut off a branch of any tree, or erect or demolish any building or a part of a building or alter or repair the out side of any building, where such action is of a nature to cause obstruction, danger or annoyance, or risk of obstruction, danger or annoyance to any person using a street, without the previous permission in writing of the municipality.

(2) The municipality may at any time by notice require that any person doing or proposing to do any of the acts, referred to in sub-section (1) shall refrain from beginning or continuing the act unless he puts up, maintains, and provides from sun set to sun rise with sufficient lighting such hoardings or screens as are specified or described in the notice and may further at any time by notice require the removal, within a time to be specified in the notice, of any hoarding or screen erected in anticipation or in pursuance of any of the said acts.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or fails to comply with the terms of a notice under sub-section (2) shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of ten rupees for every day after the first during which the contravention or non-compliance continues.

180. *Penalty.*—Whoever begins, continues or completes the laying out or making of a street without giving the notice required by section 176 or in contravention of any written directions made under section 178 or of any bye-law or provision of this Act, shall be liable to a fine which shall not be less than fifty rupees and more than five hundred rupees.

183. *Punishment for encroachment or over hanging structure over street.*—(1) Whoever, without the written permission of the municipality, makes any immovable encroachment on or under any street, on, over or under any sewer, or water course, or erects or re-erects any immovable overhanging structure projecting into a street at any point about the said ground level, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the municipality may, by notice, call upon any person who has committed a breach of the provisions contained in the said sub-section to stop the un-authorised construction forthwith and to remove or alter such immovable encroachment or over hanging structure as aforesaid within a period of seven days and if such person fails to show cause to the satisfaction of the municipality within the said period of seven days, the municipality may itself take such measures as may appear to it to be necessary to give effect to the order and the cost of such measures shall, if not paid on demand being made to him, be recoverable from such person as arrears of land revenue.

184. *Permission of occupation of public street and removal of obstruction.*—(1) The municipality may grant permission in writing, on such conditions as may be approved by the Deputy Commissioner for the safety or convenience of persons passing by or dwelling or working in the neighbourhood, and may at its discretion withdraw the permission, to any person to—

(a) place in front of any building any moveable encroachment upon the ground level of any public street or over or on any sewer drain or water course or any moveable over hanging structure projecting into such public street at a point above the said ground level;

(b) take up or alter the pavement or other materials for the fences of posts of any public street;

(c) deposit or cause to be deposited building materials, goods for sale, or other articles on any public street;

(d) make any hole or excavation on, in or under any street, or remove materials from beneath any street, so as to cause risk of subsidence; or

(e) erect or set up any fence, post, stall or scaffolding in any public street,

and may charge fees according to a scale to be approved by the Deputy Commissioner for such permission.

(2) Whoever does any of the acts mentioned in sub-section (1) without the written permission of the municipality shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees and the municipality or the Executive Officer or the Secretary or the Health Officer or any person authorised by the municipality may,—

(i) after reasonable opportunity has been given to the owner to remove his material and if he has failed to do so, remove or cause to be removed by the Police, or any other agency, any such moveable encroachments or over hanging structures and any such material, goods or articles of merchandise and any such fence, post, stall, or scaffolding;

(ii) take measures to restore the street to the condition it was in before any such alteration, excavation or damage.

(3) If the material specified in clause (i) of sub-section (2) has not been claimed by the owner within a fortnight of its having been deposited for safe custody by the municipality or if the owner fails to pay to the municipality the actual cost of removal or deposit in safe custody, the municipality may have the material sold by auction at the risk of the owner, and the balance of the proceeds of such sale shall after deduction of the expenditure incurred by the municipality be paid to the owner, or if the owner cannot be found, or refuses to accept payment the balance shall be kept in deposit by the municipality until claimed by the person entitled thereto, and if no claim is made within two years the municipality may credit the amount to the municipal fund.

Explanation.—For the purposes of this section moveable encroachment includes a seat or settee, and moveable over hanging structure includes an awning of any material.

191. *Destroying direction-posts, lamp-posts, etc.*—Whoever, without being authorised by the municipality, defaces or disturbs any municipal directions-post, lamp post or lamp or extinguishes any municipal light, any public place, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

192. *Bill-sticking without permission.*—(1) Whoever, without the consent of the owner or occupier or other person for the time being in-charge, affixes any posting bill, notice placard or other paper or means of advertisement against or upon any building, wall, tree, board, fence or pale or writes upon soils, defaces or marks any such building, wall, tree, board, fence or pale, with chalk or paint or in any other way whatsoever, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

(2) Notwithstanding anything contained in section 247 a court may take cognizance of an offence under sub-section (1) of this section upon the complaint of the owner or occupier or other person incharge of the property in respect of which offence is alleged to have been committed.

193. *Names or numbers of streets, buildings etc.*—(1) The municipality may cause a name or number to be given to any street, chowk, locality or building, and to be affixed on any chowk, locality or building in such place as it may think fit.

(2) Whoever shall destroy, pull down or deface any name or number affixed to any street, chowk, locality or building under this section, or put up any different name or number from that put up by order of the municipality shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

196. *Picketing animals and collecting carts.*—(1) Whoever, without the permission of the municipality, pickets animals or collects carts on any street, or uses any street as a halting place, for vehicles or animals of any description or as a place of encampment or causes or permits animals to stray shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

(2) Any animal found picketed, tethered or straying on any public street without the permission of the municipality may be removed to a pound by any employee of the municipality or by a police officer.

197. *Driving vehicles without proper lights.*—(1) Whoever drives or propels any vehicle not properly supplied with lights in any street during the period from half an hour after sun-set to half an hour before sun-rise, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

(2) Whoever, in driving, leading or propelling vehicle along a street, fails without reasonable excuse—

(a) to keep to the left, or

(b) when he is passing vehicle going in the same direction, to keep to right of that vehicle shall be liable to a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

198. *Beating drums etc.*—Whoever, in contravention of any general or special prohibition issued by the municipality without the permission of the municipality, beats a drum or tomtom, blows a horn or trumpet or beats or sounds any brass or other instrument or utensil, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

Explanation-I.—In the case of bands, each individual member of such band shall be punishable under this section.

Explanation-II.—For the purposes of this section "instrument" shall include a gramophone, a wireless receiver, a loudspeaker or any electrically or mechanically operated instrument capable of producing loud noises.

199. *Discharging fire-arms etc.*—Whoever discharges fire arms or lets off fire works, fire balloons or detonators, or engages in any game, in such a manner as to cause or likely to cause, danger to persons passing by a dwelling or working in the neighbourhood, or risk of injury to property, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

200. *Building operations, quarrying, blasting or cutting timber.*—Whoever quarries, blasts, cuts timber or carries on building operations in such a manner as to cause, or to be likely to cause, danger to persons passing by or dwelling or working in the neighbourhood shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

207. *Punishment for erection or re-erection of a building on sanction of a building scheme under section 205.*—If under the provisions of any scheme sanctioned under section 205 the erection or re-erection of buildings in a specified area for a specified purpose is prohibited, any person who after such scheme is sanctioned uses any building for such purpose shall, unless it was used for this purpose before the scheme was sanctioned, on conviction be liable to a fine which shall not be less than one hundred rupees and more than five hundred rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of fifty rupees for every day during which such use continues.

211. *Penalty for disobedience.*—(1) Should a building be begun, erected or re-erected—

(a) without sanction as required by sub-section (1) of section 203; or

(b) without notice as required by sub-section (2) of section 203; or

(c) when sanction has been refused,

the municipality may, by notice, delivered to the owner within six months from the completion of building, require the building to be altered or demolished as it may deem necessary within the period specified in such notice; and should it be begun or erected—

(d) in contravention of the terms of any sanction granted;

(e) when the sanction lapsed; or

(f) in contravention of any bye-law made under section 204 or, in the case of a building, of which the erection has been deemed to be sanctioned under sub-section (5) of section 208, if it contravenes any scheme sanctioned under section 205,

the municipality may by notice to be delivered to the owner within six months from the completion of the building, require the building to be altered in such manner as it may deem necessary, within the period specified in such notice :

Provided that the municipality shall require a building to be demolished or altered so for as is necessary to avoid contravention of a building scheme drawn up under section 205 :

Provided further that where the erection of the work has not been completed, the Executive Officer may by the same or separate order, whether made at the time of the issue of the notice under this sub-section or at any other time, direct the person to stop erection or work till the expiry of the period within which an appeal against the order of demolition if made, may be preferred under sub-section (1) of section 212 :

Provided further that if any notice issued by the Executive Officer or Secretary, as the case may be, under this section on the ground that a building has been begun or has been erected in contravention of the terms of any sanction granted or in contravention of any bye-law made under section 204, the person to whom the notice is issued may, within fifteen days from the date of service of such notice, appeal to the municipality and subject to the provisions of sections 212, 263 and 269, the decision of the municipality shall be final :

Provided further that the copy of the final order of the municipality shall be given free of cost to the appellant immediately after it is made.

(2) Where the owner of the building submits the revised plan, after the work has been stopped by him or the work is completed by him and there are deviations from the sanctioned plan, the municipality may, subject to the special or general directions of the State Government under sub section (3), compound the cases of deviations upto 10 % from the sanctioned plan :

Provided that where the revised plan involves erection of building—

(i) on any Government land or the land vested in a municipality or a local authority; or

(ii) by covering any public road, street, path or drain; or

(iii) by contravening the provisions of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1968 (21 of 1969);

the municipality shall not compound deviations from the sanctioned plan.

(2 A) Any person aggrieved by the decision of the municipality under sub-section (2), may, within thirty days from the passing of the order by the municipality and in such manner as may be prescribed, appeal to the Deputy Commissioner.

(2 B) Any person aggrieved by the decision of the Deputy Commissioner in appeal under sub-section (2 A), may, within thirty days from the order made by the Deputy Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the State Government.

(2 C) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeals to be filed after the expiry of the period of thirty days specified in sub sections (2-A) and (2-B) and for calculating the period of thirty days under the said sub sections, the time spent in procuring the certified copies of the orders to be appealed against shall be excluded.

(2 D) Notwithstanding anything contained in sub sections (2), (2 A) and (2 B), the State Government may, in exceptional cases of extreme hardship, compound the cases of deviations from sanctioned plans.

(3) Without prejudice to the provisions contained in this Act, the Government, may from time to time, give such special or general directions in the matters of policy in relation to the compounding of cases involving deviations from the sanctioned plans as in its opinion are required to be followed by the municipality for compounding such cases under sub-section (2) of this section.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the municipality may, after affording a reasonable opportunity of being heard, deny or withdraw the civic amenities including water and sewerage connections, if the owner of the building makes deviations from the sanctioned plan by addition of a storey beyond the sanctioned plan, erection of a building on any Government land or land vested in the municipality or by covering any public road, street, path or drain.

(5) Any person failing to comply with the direction to stop erection or work under second proviso to sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to fifty rupees for every day during which the non-compliance continues.

221. *Regulation of felling of trees within municipal limits.*—(1) No person shall fell any tree whether belonging to him or otherwise, of the prescribed class within the jurisdiction of any municipality in the State except under a permit obtained from the prescribed authority in the prescribed manner.

Explanation.—For the purposes of this Chapter the expression "felling of tree" shall include cutting or destroying or causing or suffering to be cut or destroyed any tree but shall not include bonafide pruning, trimming or otherwise altering shrubs or fruit trees for purely horticultural purposes and other petty acts, such as, the cutting of twigs, digging of ferns and the like from which no material harm of any kind to person or property is likely to result.

(2) No application for grant of permit for felling of tree shall be entertained unless it is accompanied by a fee of Rs. 10/- which amount shall be utilised for fresh plantation.

(3) (i) A breach of the provision of sub-section (1) or abetment of breach thereof in respect of cutting or destroying of each tree of the prescribed class shall be a separate offence and shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

(ii) When any person is convicted for breach of the provisions of sub-section (1), the court convicting such person shall, in addition to the punishment imposed, order forfeiture in favour of the concerned municipality of any tree/fuel/timber in whatever from it may have been converted and in respect of which the breach of the provisions of sub-section (1) is made and in case such tree/fuel/timber is not available for forfeiture the market value thereof as determined by the court shall be recoverable from him in the same manner as fine imposed.

(iii) No offence or breach of the provisions of sub-section (1) shall be compounded by any authority empowered to compound, without providing for forfeiture of the tree, fuel or timber in favour of the concerned municipality.

(iv) Any officer especially empowered in this behalf by the State Government, having reason to believe that a breach of such provision of the Act has been committed or is likely to be committed, may seize the tree, fuel or timber in respect of which such breach has been committed and also all tools used or likely to be used in the commission of such offence and all these articles shall on conviction of the offender or on the composition of the offence, be forfeited to the concerned municipality.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the term "municipality" means the Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be.

(4) The State Government may make rules consistent with this Act to carry out the purposes of this Chapter and all such rules shall be laid before the Legislative Assembly.

227. *Refusal to allow inspection.*—Whoever in contravention of section 224 or section 225 or section 226 or section 229, refuses to suffer inspection of any premises, food, drink, drug or animals, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

237. *Penalty for disobedience of orders of municipalities.*—Whoever disobeys any lawful direction of prohibition given by the municipality by public notice under this Act or any written notice lawfully issued by it thereunder, or fails to comply with the conditions subject to which any permission was given by the municipality to him under those powers shall, if the disobedience or omission is not an offence punishable under any other section, be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees, and, in the case of a continuing breach, with a further fine of ten rupees for every day after the first during which the breach continues.

240. *Penalty for obstruction.*—Any person wilfully obstructing the municipality or any employee of the municipality or any person authorised by the municipality, in exercise of the powers conferred by this Act, shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty five rupees and more than two hundred rupees.

248. *Power to compound offences.*—(1) Except as otherwise provided under any other provision of this Act, the municipality or the Executive Officer/Secretary or any other officer authorised by the State Government in this behalf may accept from person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed an offence against this Act or any rule or bye-law, a sum of money not less than five rupees by way of composition for such offence.

(2) On payment of such sum of money, the suspected person if in custody shall be discharged, and no further proceedings shall be taken against him in regard to the offence or alleged offence so compounded for.

(3) Sums paid by way of compensation under this section shall be credited to the municipal fund.

(4) Authorisation under sub-section (1) to accept composition for alleged offences may be given by the municipality either generally in regard to all offences under this Act and the rules and bye-laws, or particularly in regard only to specified offences or offences of a specified class and may, at any time, be withdrawn by the municipality.

(5) If the municipality has not authorised any of the officers specified in sub-section (1), it shall, if so required by the Deputy Commissioner give such authorisation to any of the officers specified in sub-section (1), and shall not withdraw authorisation given on such requisition without the sanction of the Deputy Commissioner.

279. *Power of State Government to frame forms and make rules.*—(1) The State Government may frame forms for any proceeding of a municipality and may make any rules consistent with this Act to carry out the purposes thereof and in particular and without prejudice to the generally of the foregoing power make rules—

(a) with respect to the powers and duties of municipalities;

(b) as to the division of municipal area into wards, or of the inhabitants into classes, or both;

(c) as to the number of representatives proper for each ward and class;

(d) as to the priority to be given to the several duties to the municipality;

(e) as to the authority on which money may be paid from the municipal fund;

(f) as to the formation and working of municipal fire brigades and the provisions of implements, machinery or means of communicating intelligence for the efficient discharge of their duties by such brigades;

(g) as to the conditions on which property may be acquired by the municipality or on which property vested in the municipality may be transferred by sale, mortgage, lease, exchange or otherwise;

(h) as to the intermediate office or offices, if any, through which correspondence, between municipality or members of municipality and the State Government or officers of that Government shall pass;

(i) for the preparation of plans and estimates for works partly or wholly to be constructed at the expenses of municipalities, and for the preparation and periodical revision of maps and registers made under section 58 and for the authorities by which and the conditions, subject to which such plans, estimates, maps and registers are to be prepared and sanctioned;

(j) for the regulation of contracts with electric supply companies for the supply of electric energy;

(k) for the assessment and collection of, and for the compounding for, refunding or limiting refunds of taxes imposed under this Act, and for preventing evasion of the same; and for fixing the fees payable for notices of demand;

(l) as to the conditions on which a municipality may receive animals or articles into a bounded ware-house and as to the agreements to be signed by traders or others wishing to deposit animals or articles therein;

(m) as to the accounts to be kept by municipalities as to the conditions on which such accounts are to be open to inspection by inhabitants paying any tax under this Act, as to the manner in which such accounts are to be audited and published, and as to the powers of the auditors in respect of dis-allowance and surcharge;

(n) as to the preparation of estimates of income and expenditure of municipalities, and as to the persons by whom, and the conditions subject to which, such estimates may be sanctioned;

(o) as to returns, statements and reports to be submitted by municipalities;

(p) as to the powers to be exercised by Deputy Commissioners under section 269 and the powers to be exercised by such Local Self Government Directorate as the State Government may establish;

(q) as to the language in which business shall be transacted, proceedings, recorded and notices issue;

(r) as to the publication of notices;

(s) to regulate the proceedings of persons empowered to accept composition under section 248 for alleged offence;

(t) mode of assessment, apportionment of compensation under section 156 amongst, and payment to, the persons entitled thereto;

(u) mode of communication of the order under section 156 to the persons affected thereby;

(v) the manner in which the compost is to be made;

(w) as to the establishment of training institutions for employees of municipalities and course of training for different classes of employees;

(x) as to the imposition of fine where owners do not take advantage of any amenities provided by the municipalities, such as electricity, tap water supply, sewerage etc.;

(y) as to regulate the charges to be paid to the safai mazdoors engaged in house scavenging;

(z) to regulate the re-erection and setting up of substantial boundary marks, defining the limits or altered limits of the area subject to its authority;

(za) as to the penalty for cutting streets or removal of obstruction or encumbrances obstructing streets or drains;

(zb) as to the exemption to a municipality from liability to any forfeiture, penalty or damages for cutting of the supply of water or not supplying water in cases of draught or other unavoidable cause or accident, etc.;

(zc) as to regulate the licencing of markets, forming of markets, collection of rents and fees and removal of such persons who occupy stalls or space in an unauthorised manner;

(zd) as to the constitution of committees consisting of official and non-official members at Divisional and District headquarters, to examine and discuss the annual accounts and the reports of the municipalities and to suggest remedial measures thereto;

(ze) as to the manner in which the seats in the District Planning Committee shall be filled in;

(zf) as to the manner in which the chairpersons of the District Planning Committee shall be chosen;

(zg) as to the functions relating to the District Planning Committees;

(zh) generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) The rules under sub-section (1) may among other matters provide,

(i) for reservation of seats in "municipalities";

(ii) for determination of number of elected members in municipalities.

(3) The Municipal Account Code at present in operation in the municipalities in the State of Himachal Pradesh shall be deemed to have been made in pursuance of the powers conferred upon the State Government by sub-section (1) of this section.

(4) In making rules under clauses (f) and (k) of sub-section (1), the State Government may direct that a breach of any provision thereof shall be punished with a fine which shall not be less than fifty rupees and more than five hundred rupees.

(5) All rules made under this Act shall be subject to previous publication.

(6) A rule under this section may be general for all municipal areas or may be special for the whole or any part of any one or more municipalities as the State Government directs.

292. *Secrecy of voting.*—(1) No witness or other person shall be required to state for whom he has voted at an election.

(2) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain and aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(3) Any person who wilfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both.

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—1036–जुड० / 2016—23–8–2016—250 प्रतियां।